

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 749 बैठक दिनांक 13/05/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
5. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
6. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No. P-2/548/2024 Smt. Sarika Alawa W/O Shri Shyam Alawa, R/o- 5/4, New V.I.P Road Kohefiza, Bhopal, District- Bhopal, (M.P.)- 462001, Prior Environment Clearance for Karami Stone Quarry with a production capacity of Max 32,191 m3/year Gitti having a lease area of 1.570 hectare, at Khasra No.-140, Village - Karami, Tehsil- Mada District- Singrauli (M.P.). [MIN/ 458887/2024.] ToR.**

प्रस्तावित खदान टॉर श्रेणी के अन्तर्गत जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये नयी खदान से संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 13.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सारिका अलावा पति श्री श्याम अलावा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Smt.Sarika Alawa W/O Shri Shyam Alawa, R/o- 5/4, New V.I.P Road Kohefiza, Bhopal, District- Bhopal, (M.P.)- 462001, Prior Environment Clearance for Karami Stone Quarry with a production capacity of Max 32,191 m3/year Gitti having a lease area of 1.570 hectare, at Khasra No.-140, Village -Karami, Tehsil- Mada District- Singrauli (M.P.). SIA/MP/MIN/ 458887/2023.
परियोजना का खसरा नं.	खसरा नं.— 140, एरिया— 1.570 ha., शासकीय भूमि

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

/ लीज क्षेत्रफल	
परियोजना स्थल	Village -Karami, Tehsil- Mada District- Singrauli (M.P.).
सैधातिक सहमति	पत्र क्र0. 13321 दिनांक 05 / 10 / 2023.
टॉर स्थिति	प्रस्तावित ।
Description of Project	It is a Stone Quarry with a production capacity of Max 32191 m ³ /year Gitti having a lease area of 1.570 hectare, at Khasra No.140 Village -Karami, Tehsil- Mada District- Singrauli (M.P.).
खनन कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	Controlled blasting techniques, Muffle Blasting and use of sand bags.
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।
उत्पादन क्षमता	● स्टोन – 32,191 घनमीटर/वर्ष।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 4223 दिनांक 23/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 08 अन्य खदाने स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 18.48 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 4223 दिनांक 23/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 4223 दिनांक 23/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	कार्यालय ग्राम पंचायत – कारामी, जनपद पंचायत बैढ़न, जिला – सिंगरौली द्वारा जारी ठहराव प्रस्ताव क्र0. निरंक दिनांक 24/08/2023 द्वारा जारी प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted - लीज में स्थित पेड़ों की संख्या 20 फाइनल ईआईए के समय प्रस्तुत किया जायेगा
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर पूर्व दिशा- .आईसोलेटेड हट्स लगभग 168 मी., स्माल चेकडेम लगभग 200 मी.
जल/वायु सम्मति वैद्यता	CTE will be applied after getting Environmental Clearance as it is a fresh Quarry Lease.

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – सिंगरौली के पत्र क्रमांक 223 दिनांक 16/01/2024 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खदान इस खदान का विवरण नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत सम्मिलित का लिया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।
----------------------------------	---

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार “गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर” (परिशिष्ट-1 संलग्न) अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

2. P-2/547/2024 MS GAUR ROAD TARCOAT PVT LTD, Plot No. 2283 Sharda Chowk, Nagpur Road Jabalapur, Dindori (M.P.) 481880, Case No. P-2/547/2024 MS GAUR ROAD TARCOAT PVT LTD, Plot No. 2283 Sharda Chowk, Nagpur Road Jabalapur, Dindori (M.P.) 481880, B2 Cat. (Temporary Permit)

प्रकरण आज सेक की 749वीं बैठक दिनांक 13/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा।

3. Case No. P2/583/2024 Shri Agyat Gupta, Director, DG MARBEL AND GRANITES LLP, 158 3rd Floor, Zone-II, M.P. Nagar, Bhopal (M.P.). Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 5.400 ha. (Granite-4000 cum per annum, Boulder-12322 cum per annum] Gitti-12322 cum per annum & M-Sand-98576 cum per annum) (Khasra No. 431) Village Bhitariya, Tehsil Lavkushnagar, District Chhatarpur (M.P.) [MIN/463817/2024] TOR

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 13/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Agyat Gupta**, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी. इन्वायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Agyat Gupta, Director, DG MARBEL AND GRANITES LLP, 158 3rd Floor, Zone-II, M.P. Nagar, Bhopal (M.P.)

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	431 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	5.400 hectare.
स्थल	Village Bhitariya, Tehsil Lavkushnagar, District Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 14442 दिनांक 20/10/22 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Granite-4000 घनमीटर/वर्ष, Boulder-12322 घनमीटर/वर्ष, Gitti-12322 घनमीटर/वर्ष एवं M-Sand-98576 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Granite-4000 घनमीटर/वर्ष, Granite-4000 घनमीटर/वर्ष, Boulder-12322 घनमीटर/वर्ष, Gitti-12322 घनमीटर/वर्ष एवं M-Sand-98576 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 61 दिनांक 06/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 17.756 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 61 दिनांक 06/01/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं और वन मण्डलाधिकारी के पत्र दिनांक 07/06/22 के अनुसार निकटतम वन सीमा वन कक्ष क्रमांक पी-708 का भाग है, अतः वन व्यपवर्तन की प्रति ईआईए रिपोर्ट के साथ करें ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 61 दिनांक 06/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत दौनी जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-6 दिनांक 21/11/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 61 दिनांक 06/01/23 अनुसार उक्त खदान को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।
----------------------------------	---

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार “गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर” (परिशिष्ट-1 संलग्न) अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

4. Case No. P-2/542/2024 Shri AKHILESH GOSWAMI, Owner, Goswami Dharamkanta, Gram Pathra, Post- Badhora No. 1, Tehsil- Badwara, Dist. Katni (M.P.) Prior Environment Clearance for Laterite Mine in an area of 27.13 ha. (Laterite-50473 TPA & Over Burden-5608 TPA) (Khasra No. 163(s)) Village Bijauri Tehsil- Badwara Dist. Katni (M.P.) TOR

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 13/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri AKHILESH GOSWAMI**, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्वाइटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri AKHILESH GOSWAMI, Owner, Goswami Dharamkanta, Gram Pathra, Post- Badhora No. 1, Tehsil- Badwara, Dist. Katni (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	163(s) (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	27.13 hectare.
स्थल	Village Bijauri Tehsil- Badwara Dist. Katni (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 1441 दिनांक 02/02/22 द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Laterite-50473 TPA & Over Burden-5608 TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित	

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

	खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता Laterite-50473 TPA & Over Burden-5608 TPA है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2609 दिनांक 22/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2609 दिनांक 22/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं आवेदित क्षेत्र 250 मीटर की परिधि में होने के कारण संभागीय आयुक्त की अनुमति दिनांक 14/09/23 से प्राप्त है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2609 दिनांक 22/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट है, आवेदित भूमि के लगभग 6.00 हे. रकेब में आदिवासी बाहुल्य के डूब क्षेत्र से प्रभावित व अन्य लोगों की बसाहट व बाड़ी है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पठरा जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-7 दिनांक 19/08/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-66 के सरल क्रमांक-14 पर दर्ज है।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार "गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर" (परिशिष्ट-1 संलग्न) अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

5. Case No. P-2/544/2024 M/s. Maa Kailadevi Shri Ram Aabla S/o Deviram Aabla, New Ganesh Colony, Ganj Road Sabalgarh, District- Morena (M.P.), Prior Environment Clearance for Soil Quarry , Capacity - 2500 M3/Year Khasra No. - 687, (Private Land) Lease Area - 1.70 ha.,. Village- Kutrawali, Tehsil- Kailaras, District- Morena (M. P.). B2 Cat.

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 13/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक मैसर्स मां कैलादेवी चिमनी ईट भट्टा उद्योग कुटरावली प्रो. श्री रामबाबू आवला एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मैसर्स ए.एस.जी इन्वायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि, दिल्ली. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	MS Maa Kailadevi Chemney INT Bhatta Udhyog, Pro.- Shri Rambabu Avala S/o Shri Deviram Avala	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	687 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड) सहमति पत्र	1.760 hectare.
स्थल	Village-Kutrawali, Tehsil-Kailaras, District-Morena (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के पत्र क्रमांक 307 दिनांक 13/03/2023 के द्वारा स्वीकृत ।	
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष- 29/03/2023, क्षमता- 2,500 घनमीटर/वर्ष, उत्पादित मात्रा-2,500घनमीटर/वर्ष,	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	हाँ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन मिट्टी की है इस प्रकार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट बी-2	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – नीरज प्रजापति, स्थल का नाम- कुतरावली दिनांक- 29/03/2024	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिट्टी -2,500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 2,500 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 403 दिनांक 05/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 1.70 हे. होता है, अतः प्रकरण बी- 2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 403 दिनांक 05/04/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

अनापत्ति	403 दिनांक 05/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कुटरावली जिला मुरैना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 04 दिनांक 02/10/2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं ।
केशर की स्थिति	अनुमोदित खनन मिट्टी की है इस प्रकार केशर प्रस्तावित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में पेड़ स्थित है जो कि गैर खनन क्षेत्र के रूप में 0.1556 हेक्टेयर छोड़ा गया है ।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	21/02/2024

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज एरिया में चिमनी प्रस्तावित नहीं है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्वाइल-2500 घनमीटर/वर्ष ।
2. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-

- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये ।
- म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये।उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 7.84 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 1.15 लाख प्रति वर्ष ।

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost(in Rs)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	36,810	-
1(b)	Water requirement- 0.818 KLD , Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (180 m in length x 6m in width)	1,00,000	20,000
PLANTATION SCHEME			
3.	Plantation within lease @ Rs. 200/plant. (600 plants × 200 Rps=1,20,000/-)	2,95,000	15,000
	Plantation Along the Approach Road @ Rs. 300/plant (400 plants × 300 Rps=1,20,000/-)		
	Plants to be distributed in nearby villagers @ Rs. 50/plant. (1100 plants × 50 Rps=55,000/-)		
4	Garland Drains (1.5m Wide,2m Deep & 654 m Long) Two Settling Tanks are of 4 m wide, 15m long & 2.5 m deep.	60,000	5,000
5	Wire fence (649 m) @200 rupees/meter.	1,29,800	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler)	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000×2.	30,000	3,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 10 Labors -10× 500 × 2)	-	10,000
10	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 10 workers – 10 × 1500).	15,000	2,000
12	Shelter rooms for labors (10×20)=200 Square feet	60,000	5,000

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

13	Two dustbins & development of solid waste management system.	5,000	2,000
14	Half yearly PUC certification for trucks @1000/truck (1 Trucks × 1000 × 2 times in a year)	-	2,000
15	• Fodder plot & Grazing Land development. • Sowing Safed Castor ,babool & neem Seeds Etc. along the excavated garland drain.	5,250	2,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows : 1. One solar lights, (@ Rs. 8000/light) 2. Web Camera, (per camera.@3500rupees) 3. Display Board at mine entrance.	18,000	-
TOTAL		7,84,860 /-	1,15,000/-

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.36 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
सी.ई.आर मद से 36,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम कुटरावली के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	36,000/-

5- Plantation in other area.

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2100 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आम, अमरूद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां	600
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरूद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1100
योग			2100
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

- 6. Case No. P-2/545/2024 Shri Pradeep Sharma, Resi- Flat No.-G2, House No. A-55, Vinayak Residency, Near by Sant Kripal Asharam, Vijay Nagar Sector 03, Grid Gwalior, (M.P.) 474012. Prior Environment Clearance for Majra Stone Mine Khasra No.-2767, an Area of 3.20 Ha. in Village Datahara, Tehsil- Morena, District- Morena (M.P.) with Production: Stone - 22,800 M3/ Year. B2Case.**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 13/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री प्रदीप शर्मा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी इन्वायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि, दिल्ली. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Pradeep Sharma S/o Shri Chhatrapal Sharma, R/o- Flat no. 02, House no. 55, Vinayak Residency, Nearby Sant Kripal Ashram ,Vijay Nagar Sector 3, Gird Gwalior (M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2767(शासकीय –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.20 hectare.	
स्थल	Village-Dhanela, Tehsil- Morena Hal Banmore, District-Morena (M.P.).		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के पत्र क्रमांक 629 दिनांक 20/05/2022 के द्वारा स्वीकृत ।		
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष- 26/09/2022, क्षमता- 22,800_घनमीटर/वर्ष, उत्पादित मात्रा-22,800 घनमीटर/वर्ष,		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट , बी-1 ।
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – नीरज प्रजापति, स्थल का नाम– धनेला दिनांक– 29/03/2024
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर – 22,800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 22,800 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1058 दिनांक 25/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 3.20 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-. 2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1058 दिनांक 25/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1058 दिनांक 25/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत धनेला जिला मुरैना के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 24/04/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र के अन्दर प्रस्तावित है
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> लीज क्षेत्र में पेड़ स्थित नहीं हैं ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– कच्चे रोड लगभग खदन कि बाउड्रिं से होकर जा राह है जिससे 50 मी. का सेटबेक (0.2047 हेक्टेयर) दिया गया है।
सिया में ईसी हेतु	21/02/2024

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 23 के सरल क्रमांक- 74 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर – 22,800 घनमीटर/वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी ।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी ।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 12.34 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.18 लाख प्रति वर्ष ।

1. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	58,635	-
1(b)	Water requirement- 1.303 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (250 m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
PLANTATION SCHEME			
3.	a) Plantation within lease @ Rs. 200/plant.	1200 plants × 200 Rs=2,40,000/-	15,000
	b) Plants to be distributed in nearby villagers : @ Rs. 50/plant.	2200 plants × 50 Rs=1,10,000/-	

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

	c) Plantation Along the Approach Road @ Rs.300/plant	500 plants × 300 Rs=1,50,000/-		
4	<ul style="list-style-type: none"> • Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 793 m Long) • Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area. • Settling Tank is of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep) . 		80,185	5,000
5	Wire fence (788 m) @200 rupees/meter.		1,57,600	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.		-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).		10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 15 Labors -15 × 500 × 2)		-	15,000
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 15 workers - 15 × 1500)		22,500	2,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet		1,00,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system		5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)		-	1,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows : 1. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2. Web site development & Maintenance 3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 4. Display Board at mine entrance.		22,000	-
17	For Carbon containment (740 Plants x 100 Rs / Plant)		74,000	
	TOTAL		12,34,920 /-	1,18,000/-
Apart from other facts mention carbon footprint amount, in case of building fire expenditure, STF budged, solar power amount, water fogging machine in mining/cursor area, in other specific provisions.				

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम धनेला के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	1,00,000/-

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3900 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1200
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	500
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2200
योग			3900
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

7. Case No. P-2/543/2024 Shri Jay Kumar Jain, Partner, M/s BEDIKA CONSTRUCTION COMPANY, R/o- Tilak Ward Deori, Tehsil- Deori, District- Sagar (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 03.00 ha. (Boulder- 15,000 m³/year, M-Sand-14,700 m³/year and Murum- 9,569 m³/year) (Khasra No. 72) Village- Katangi, Tehsil- Deori, Dist.- Sagar, (M.P.) TOR

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 13/5/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Jay Kumar Jain online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Jay Kumar Jain, Partner, M/s BEDIKA CONSTRUCTION COMPANY, R/o- Tilak Ward Deori, Tehsil- Deori, District- Sagar (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	72 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.0 hectare.
स्थल	Village- Katangi, Tehsil- Deori, Dist.- Sagar, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 6440 दिनांक 26/05/23 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Boulder- 15,000 m ³ /year, M-Sand-14,700 m ³ /year and Murum- 9,569 m ³ /year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Boulder- 15,000m ³ /year, M-Sand-14,700 m ³ /year and Murum- 9,569 m ³ /year है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 224 दिनांक 13/02/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 15.700 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 224 दिनांक 13/02/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 224 दिनांक 13/02/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सिलारी जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-3 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन का सशर्त पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 231 दिनांक 13/02/24 अनुसार भविष्य में जो डीएसआर अद्यतन होगी, उसमें उक्त खदान का सम्मिलित कर लिया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार “गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर” (परिशिष्ट-1 संलग्न) अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

8. Case No. 10259/23 Shri PREM CHOUHAN, Lessee, Village- Shankargarh, Tehsil & District- Dewas, M.P. Prior Environment Clearance for Murrum and Stone Quarry in an area of 3.00 ha. (Murrum – 6000 m3/Year & Stone - 10000 m3/Year) (Khasra No. 197/1) Village Khatamba, Tehsil Dewas, District Dewas (M.P.) EIA

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी अथवा (डिया) श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये पूर्व मूल्यांकन से संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 13/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री प्रेम चौहान आत्मज श्री बिहारीलाल चौहान एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार राम राघव उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri PREM CHOUHAN, Lessee, Village- Shankargarh, Tehsil & District- Dewas, M.P
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	197/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) 3.00 hectare. चारगाह
स्थल	Village Khatamba, Tehsil Dewas, District Dewas(M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 743 दिनांक 10/3/23 के द्वारा स्वीकृत ।
टॉर	सेक की 665वीं बैठक दिनांक 03/8/23 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 1294 दिनांक 12/9/23 के द्वारा Murrum – 6000 m3/Year & stone - 10000 m3/Year के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

	अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड)
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया देवास के पत्र क्रमांक 241 दिनांक 14/6/16 के द्वारा मुरुम -6000 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Murrum - 6000 m ³ /Year & stone - 10000 m ³ /Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Murrum - 6000 m ³ /Year & stone - 10000 m ³ /Year ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 829 दिनांक 15/3/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 22.25 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 829 दिनांक 15/3/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 829 दिनांक 15/3/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खटाम्बा जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 15/8/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	लीज क्षेत्र के अन्दर केशर प्रस्तावित है
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा- हॉल रोड लगभग 200 मीटर की दुरी पर है
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण देवास जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-30 के सरल क्रमांक-8 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण,

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

	आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।
--	--

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तुत प्रकरण एस.ओ.पी. के अन्तर्गत आवेदित किया गया था । समिति द्वारा परिवेश पोर्टल पर फार्म-2 में दिये गये विवरण अनुसार परीक्षण किया गया ।

समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 25 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 2 प्रतिशत पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 50 पेड़ लगाये गये
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – Murrum – 6,000 m³/Year & Stone - 10,000 m³/Year.
2. पुरानी ई.सी. की शर्तों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें ।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्वोरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.88 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.71 लाख प्रति वर्ष ।

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

S. No.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
	For environment Protection		
1	A. Overhead water sprinkle facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation with fixed pipeline. B. Hiring of water tanker (3,000L) @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days – Rs 30,000/-	80,000	10,000 30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 757m Long) Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. Settling Tank is of 4 m wide, 10 m long & 2.5 m deep. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double “S” pattern.	1,10,000	10,000
	A Development and maintenance of WBM approach Road length approx. 75 m, Width 5.5m (excluding shoulder)@ Rs800/ meter	60,000	10,000
3	B Contribution for Widening and maintenance of the existing road (Road length approx. 350m, Width 5.5m- (edge to edge excluding shoulders) including the provision of rumble strips (@Rs1,000 each) and construction of a curve (minimum 10m dia @ Rs 10,000) at T junction where approach road meets the main road	35,000	20,000
4	Monitoring twice a year AAQM @20000/yr, Water@10000/yr, Noise@10000/yr, Soil @10000/yr	NIL	20,000
5	Plantation (Total 2300 plants)		
	Outside the Lease Area(along approach road @ 500rs./tree (100nos) At the nearby village area (boundary wall available) 110nos @Rs 150/tree Plants will be distributed to the nearby farmers as well as the nearby village 3390nos@Rs 50/plant.	50000 16500 169500	25,000
	Development and maintenance of Grazing land will be done with local tree species like Themeda, Siran, Punia, Dichantium Cymbopogon, etc. in the ML area.	60000	5000
7.	Wire fence (810 m long) (@Rs500/m)	4,05,000	10,000

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

8	PUC certification of vehicles (02 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	1,000
Labor Welfare			
10	Drinking Water Facility and rest shelter (30x 15 ft.) with solar light	80,000	5,000
11	1 number toilet (Rs 12,500/- per toilet)	12,500	5,000
12	Occupational health checkup for workers and villagers (@twice/year)	Nil	40,000
13	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves including safety harness for the workers involved in blasting/drilling works for max 1 worker only - (08 x Rs 2000+Rs 2,000 for safety harness @Rs 2000 per set)	20,000	5,000
	Vocational training on mining methods and safe work practices (@twice/year)@ 1000 x 2 x 10	-	20,000
	Contribution in cluster management	-	40000
Emergency Rescue Plan			
14	Fire Fighting Equipments (2 Nos) @ 20000 / firefighting and first aid @ 2000 per kit	42,000	10,000
15	Safety signage and warning boards like red flags, cones including reflectors	9,000	5,000
Solid Waste Management			
16	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3000	5,000
	b) Transport of Dry Waste	-	
Extra Other Budget			
	Distribution of the LeD bulbs to the nearby villagers for carbon sequestration 300nos of bulb @Rs 120/bulb	36000	
	Total	11,88,500	2,71,000

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
अधो संरचना विकास के लिए खटाम्बा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में योगदान राशि प्रदान भू प्रवेश के ३ माह के अंदर प्रदान की जावेगी	₹ 60,000/-
कुल	60,000 /—

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, चिरोल, पीपल, पुत्रंजीवा, करंज, जंगल जलेबी, सिस्सू, कदम आदि।	100 नग
2	ग्राम खटाम्बा के शासकीय विद्यालय में वृक्षारोपण -110 नग	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आवला, कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, पपीता, आम, मुनगा, कटहल, आदि।	110 नग
3	पास के गाव के लोगो को एवं आस पास में स्थित खेतो के किसानो को पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, निम्बू, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	3390 नग

9. Case No. 9187/2022 Shri Aman Sharma, Director, M/s MARWARI SALES PRIVATE LIMITED, R/o- Gandhi Nagar, Gwalior, District- Gwalior (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.75 ha. (1,20,000 cum per annum) (Khasra No. 584) Village -Tikari, Tehsil- Gaurihar, District- Chattarpur (M.P.). [MIN/463719/2024]

प्रकरण आज सेक की 749वीं बैठक दिनांक 13/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

10. Case No. P-2/540/24 Shri PAWAN KUMAWAT, R/o- House No. A/23, Dongre Nagar, In front of Rathod Dharamshala, Ratlam, Madhya Pradesh – 457001. Prior

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

Environment Clearance for Stone in an area of 4.00 ha. (25080 M3/Year) (Khasra No. 10/1/1 d), Vill. Dhabaipada , Tehsil and Distt. Ratlam (M.P.) TOR.

प्रस्तावित स्टोन खदान बी-1 श्रेणी के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 13/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri PAWAN KUMAWAT online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **Aseries Envirotek India Pvt. Ltd.** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri PAWAN KUMAWAT, R/o- House No. A/23, Dongre Nagar, In front of Rathod Dharamshala, Ratlam, Madhya Pradesh - 457001
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	10/1/1 क (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) 4.00 hectare.
स्थल	Vill. Dhabaipada , Tehsil and Distt. Ratlam (M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 14343 दिनांक 19/10/22 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर प्रकरण की स्थिति	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन – 25080 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार - स्टोन – 25080 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2792 दिनांक 06/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 16.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2792 दिनांक 06/12/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2792 दिनांक 06/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत राजपुरा जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 27/01/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण रतलाम जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ईआईए रिपोर्ट के साथ सममिट किया जायेगा ।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार “गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर” (परिशिष्ट-1 संलग्न) अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

11. Case No. 9709/2023 Uma Paliwal, Owner, 71, Gram- Tajkheda, Tehsil- Taal, District- Ratlam, M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 2.00 ha. (Stone - 10000 m3/Year (Khasra No. 04) Vill.-Kharwakalan, Tehsil- Tal, District- Ratlam (M.P.) (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी अथवा (डिया) श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये पूर्व मूल्यांकन से संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 13/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक उमा पालीवाल पत्नी श्री संतोष पालीवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार राम राघव उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Uma Paliwal, Owner, 71, Gram- Tajkheda, Tehsil- Taal, District- Ratlam, M.P
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	04 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) 2.00 hectare. चारागाह
स्थल	Vill.-Kharwakalan, Tehsil- Tal, District- Ratlam (M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 972 दिनांक 26/12/2017 के द्वारा स्वीकृत ।
टॉर	सेक की 631 बैठक दिनांक 18/03/23 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 127 दिनांक 17/4/23 के द्वारा 10,000 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
ब्लॉस्टिंग/रॉक ब्रेकर	ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि । Not applicable
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone - 10000 m3/Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone - 10000

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

	m3/Year
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 126 दिनांक 18/1/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 06 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 126 दिनांक 18/1/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 126 दिनांक 18/1/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खरवाकला जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 15 दिनांक 15/8/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - 01 Additional tree to be planted - 10
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा- लगभग 105 मीटर की दुरी पर पक्का रोड है पूर्व दिशा- हॉल रोड लगभग 25 मीटर की दुरी पर है
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण रतलाम जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-21 के सरल क्रमांक-35 पर दर्ज है।
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों को परियोजना प्रस्तावक ने पर्यावरणीय प्रबंधन योजना/सी.एस.आर में सम्मिलित किया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के खनिज अधिकारी से सत्यापित कोर्डिनेटस पत्र क्रमांक 596 दिनांक 09/05/2024 के माध्यम से प्रस्तुत किये गये, तदनुसार प्रकरण का परीक्षण किया गया।

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – **Stone - 10000 m³/Year**
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित मार्इन आधारित केशर प्लांट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लांट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.42 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. **1.87** लाख प्रति वर्ष ।

S. No.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
	For environment Protection		
1	B. Overhead water sprinkle facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation with fixed pipeline. B. Hiring of water tanker (3,000L) @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days – Rs 30,000/-	80,000	10,000 30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 750m Long) 4 nos of Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double “S” pattern.	90,000	10,000
	A Development and maintenance of WBM approach Road length approx. 75 m, Width 5.5m (excluding shoulder)@ Rs800/ meter	60,000	10,000
3	B Widening and maintenance of the existing kaccha road (Road length approx. 220m, Width 5.5m- (edge to edge excluding shoulders) including the provision of rumble strips (@Rs1,000 each) and construction of a curve (minimum 10m dia @ Rs 10,000) at T junction where approach road meets the main road	22,000	5,000
4	Monitoring twice a year AAQM @20000/yr, Water@10000/yr, Noise@10000/yr, Soil @10000/yr	NIL	20,000
5	Plantation (Total 2300 plants)		

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

	A. Within Lease Area in Barrier Zone (770m) @ 150rs./tree (700nos) covering the whole periphery of mine lease area	1,05,000	
	Outside the Lease Area (along approach road and village area) (including the Cost of the manure for the plants) 1st year- 80nos on approach road up to 120m both side (@ Rs 500/tree) 2nd year- 30 nos. Plantation at Gram Panchayat Bhawan / School/Hospital/Crematorium, etc (@ Rs 150/tree) 2nd year - 1600nos will be distributed to the nearby villagers & Nearby Formers @Rs 50/plant	40,000 4500 80,000	10000
	Cost of fertile soil to be brought from outside @ Rs 250 per cubic meter. Each tree to take approx. 0.124 cubic meter, therefore approx. 100.11 cubic meters to be utilized in the plantation 810trees	25000	
	Wire fence (800m long) (@Rs500/m)	4,00,000	10,000
7.	Development and maintenance of grazing land will be done with local tree species like Themeda, Siran, Punia, Dichantium Cymbopogon, etc. in the same khasra no.	40,000	10,000
Labor Welfare			
10	Drinking Water Facility and rest shelter (15x 15 ft.) with solar light	50,000	10,000
	1 number toilet (Rs 12,500/- per toilet)	12,500	3,000
	Occupational health checkup for 07 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 07	Nil	14,000
	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves including safety harness for the workers involved in drilling works for max 2 workers only - (15 x Rs 2000+Rs 4,000 for safety harness @ Rs 2000 per set)	14,000	2,000
	Vocational Training for 07 Worker (min. @ Rs. 500 /labor)	-	3,500
Emergency Rescue Plan			
14	Fire Fighting Equipments (1Nos) @ 20000 / firefighting and first aid @ 2000 per kit	20,000	5,000
15	Safety signage and warning boards like red flags, cones	5,000	2,000

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

	including reflectors		
Solid Waste Management			
16	a) Bins 2Nos @ Rs 1500 each	3,000	5,000
	b) Transport of Dry Waste	2,000	
Extra Other Budget			
	Contribution in cluster management plan	-	30000
	Wind breaking wall (Agriculture side) @ 70 m	35000	2000
	Distribution of the LeD bulbs to the nearby villagers for carbon sequestration 200 nos of bulb @Rs 120/bulb	24000	
	Expenditure for the restoration activities at the mine lease area	30000	-
	Total	11,42,000	1,87,500

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
पीने के पानी की सुविधा हेतु निकटतम ग्राम खारवाकलां स्थित ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी में तथा प्राइमरी पाठशाला में पेयजल हेतु पानी की टंकी रखवाए जाने का प्रावधान है	₹ 50,000/-
कुल	50,000 / -

1. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2410 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- चिरोल, खमेर, आवला, नीम, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, बरगद, करंज आदि।	700 नग
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:-	80 नग

**749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024**

	ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, चिरोल, पीपल, पुत्रंजीवा, करंज, जंगल जलेबी, सिस्सू, कदम आदि।	
	ग्राम पंचायत भवन खरवा कलां	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आवला, कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, पपीता, आम, मुनगा, कटहल,	30 नग
	पास के गाव के लोगो को एवं आस पास में स्थित खेतो के किसानो को पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- मुनगा, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू, कटहल आदि।	1600नग

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

12. Case No. 9771/2023 Shri Sandeep Bagwala, Partner SHRI DUTT INFRA TECH, 1171 Mundi Road Bijalpur, Dist.- Indore. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.398 ha. (Stone - 15000 (Khasra No. 1033/1, 1033/3) Village- Ambachandan, Tehsil-Mhow, District-Indore (MP). EIA

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 13/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री दत्त इन्फ्रा पार्टनर, श्री संदीप बागवाला एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी इन्वायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/S Shri Dutt Infra, Partner- Shri Sandeep S/o Shri Kailash Chandra Bagwala, R/o- 1171 Mundi Road Bijapur, District- Indore (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1033/1, 1033/3 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.398 hectare.
स्थल	Village- Ambachandan, Tehsil-Mhow, District-Indore (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इन्दौर के पत्र क्रमांक 2050 दिनांक 14/11/2022 के द्वारा स्वीकृत।	
पूर्व स्वीकृत	वर्ष- 24/11/2022,	

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	क्षमता— 15,000 घनमीटर/वर्ष, उत्पादित मात्रा—15,000 घनमीटर/वर्ष,		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हॉ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट , बी-1		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – नीरज प्रजापति, स्थल का नाम— अम्बाचंदन दिनांक— 07/11/2023		
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सेक की 633वीं बैठक दिनांक 06/04/2023 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 358 दिनांक 16/05/2023 के द्वारा टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 15,000 घनमीटर/वर्ष है।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इन्दौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 48 दिनांक 12/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 6.373 हे. होता है, अतः प्रकरण बी- 2 श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इन्दौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 48 दिनांक 12/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इन्दौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 48 दिनांक 12/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप		

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

	डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अम्बाचंदन जिला इन्दौर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 02/05/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	केशर लीज क्षेत्र के अन्दर प्रस्तावित है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> लीज क्षेत्र में स्थित पेड़ों को यदि पेड़ों का गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़ा जाना है
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा – उत्तर दिशा में कृषि क्षेत्र से 25 मी. का सेटबैक छोड़ा गया है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	07/03/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित की जायेगी ।
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की दिनांक 15/12/2023 को संपन्न 24 आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस. आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तों के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तों के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **Stone - 15000** घनमीटर/वर्ष ।

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 8.50 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 3.92 लाख प्रति वर्ष।

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,93,500
1(b)	Water requirement- 4.3 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (400m in length × 6m in width)	1,00,000	50,000
PLANTATION SCHEME			
3.	Plantation within lease boundary. @ Rs. 200/plant.	(400X200= ₹ 80,000)	3,04,000
	b) Plants to be distributed in nearby villagers: @ Rs. 100/plant.	(960X100 = ₹ 96,000)	
	c) Plantation Along the Approach Road @ Rs.400/plant (including tree guard)	(320X 400 = ₹ 1,28,000)	
4	Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 510m Long) Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area. Settling Tank is 2 of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep) .	1,00,000	5,000
5	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (20Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	20,000
6	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year)		30,000
	Pollution Monitoring		30,000
	i) Air pollution		20,000
	ii) Water pollution		20,000
	iii) Soil Pollution		20,000
7	iv) Noise Pollution		20,000
	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/10 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 10 Labors -10 × 500 × 2)	-	10,000
11	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 10 workers - 10 × 1500)	15,000	3,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
15	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	20,000	5,000
16	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
17	For Carbon Containment (804 plants x 100Rs/Plant)	80,400	
	TOTAL *	8,50,400/-	3,92,000/-
Apart from other facts mention carbon footprint amount, in case of building fire expenditure, STF budged, solar power amount, water fogging machine in mining/cursor area, in other specific provisions.			

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 80,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम आम्बाचंदन के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	80,000/-

6. **Plantation in other area.**

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1680 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आम, अमरूद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	400
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	320
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरूद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	960
योग			1680
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

13. Case No. P-2/541/24 Smt. Gyani Devi Gupta W/o Shri Suresh Gupta, R/o Panjhreh Bazaar Singrauli, Tehsil & District- Singrauli, (M.P.) 486889. Prior Environment Clearance for Jhingurda Stone Quarry, Khasra No. - 31/1, Proposed Production Capacity – 18,050 Cum/Year. Village Jhingurda, Tehsil Singrauli, District Singrauli (M.P.). B2 Case.

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 13/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक SMT. GYANI GUPTA एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Smt. Gyani Devi Gupta W/o Shri Suresh Gupta, R/o Panjhreh Bazaar Singrauli, Tehsil & District- Singrauli, (M.P.) 486889. Prior Environment Clearance for Jhingurda Stone Quarry, Khasra No. - 31/1, Proposed Production Capacity – 18,050 Cum/Year. Village Jhingurda, Tehsil Singrauli, District Singrauli (M.P.). SIA/MP/MIN/ 461951/2023.

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.— 31/1,	एरिया— 2.00 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Village Jhingurda, Tehsil Singrauli, District Singrauli (M.P.).	
Activity	It is a stone quarry with a production capacity of Max. 18050 cubic meter per year Gitti having a lease area of 2.0 hectares, previously EC was issued by DEIAA Singrauli at Khasra No. - 31/1, Village Jhingurda, Tehsil Singrauli, District Singrauli (M.P.). Now we are applying for fresh EC in MP-SEIAA as per the Honourable NGT OA 142 of 2022 dtd 07-12-2022.	
Request	Request to accept our case for the further procedure of Environmental Clearance on the basis of the SEIAA policy decision 826th dtd 23-01-2024 regarding the cases having DEIAA EC.	
सैधातिक सहमति	पत्र क्र०. 2040 दिनांक 13/06/2017.	
पर्यावरणीय स्वीकृति	DEIAA New.	
खनन कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Controlled Muffle Blasting,	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया कार्यालय जिला— सिंगरौली के पत्र क्रमांक 47 दिनांक 22/12/2017 के द्वारा स्टोन — 18,060 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।	
उत्पादन क्षमता	● स्टोन — 18,050 घनमीटर/वर्ष ।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला — सिंगरौली के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 263 दिनांक 18/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला — सिंगरौली के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 263 दिनांक 18/01/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। ➤ आवेदित क्षेत्र वन सीमा से 310 मी दुरी पर स्थित है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला — सिंगरौली के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 263 दिनांक 18/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है। ➤ आवेदित खदान क्षेत्र उ.प्र. की सीमा से लगभग 300 मी दुरी पर स्थित है। ➤ आवेदित खदान क्षेत्र से आबादी लगभग 300 मी दुरी पर है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्/नगर पालिक	कार्यालय नगर पालिक निगम जिला — सिंगरौली द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र क्र०. 5737 दिनांक 01/05/2017 द्वारा	

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

निगम द्वारा जारी अनापत्ति पत्र	अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा- . आबादी लगभग 197 मीटर दूरी पर स्थित है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक मने बताया की 200 मीटर तक खनन कार्य नहीं किया जावेगा
जल/वायु सम्मति वैद्यता	Date of consent issued 18/01/2023, Validity of consent (Valid up to) 31/12/2027.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-41 के सरल क्रमांक-78 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तुत प्रकरण एस.ओ.पी. के अन्तर्गत आवेदित किया गया था । समिति द्वारा परिवेश पोर्टल पर फार्म-2 में दिये गये विवरण अनुसार परीक्षण किया गया ।

समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 30 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 2 प्रतिशत पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 50 पेड़ बॉटे गये
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। पौधा रोपण के फोटोग्राफ से स्पष्ट नहीं है कि पौधा रोपण नगरीय क्षेत्र में लगाया है या अन्य किसी स्थानों पर ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **स्टोन – 18,050 Cum/Year**
2. पुरानी ई.सी. की शर्तों का अनुपालन 6 माह के अन्दर परियोजना प्रस्तावक द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें ।

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्वोरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रू. 11.71 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.44 लाख प्रति वर्ष।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>		
		Capital	Recurring
1.	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days.	-	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 500 m Long) (construction and maintenance of existing as per requirement) 1. Settling Tank of 4 m wide, 10 m long & 2.5 m deep 2. Settling Tank of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep 3. Settling Tank of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep Settling tanks will be of double "S" pattern.	70,000	10,000
3	Contribution in maintenance of existing Road (Road length approximately 160 m, Width 5.5 m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 300/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	48,000	15,000
4	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@8000/yr, Noise@5000/yr Soil@5000/yr	NIL	20,000
5.	Plantation (Total 2400 nos.)		
	A. Outside the Lease Area (along approach road, village road and village area) (including the Cost of tree guard & manure for the plant) 2nd year- 500 no's at village area (@Rs 150/plant) 2nd year-1850 nos. for distribution to nearby villagers (@ Rs 50/tree)	75000 92500	15,000

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

	Plantation at the village government school(50nos @Rs 150/plant) C. Soil will be bought from outside; Rs @ 250/m ³ , 0.124 m ³ soil needed for per plant so 75 m ³ soil needed for the plantation of 550 trees d. Cost of the seed sowing at the barrier zone of the mine lease area	7500 18750 20000	-
6	Channel fencing around the mine lease area (Total ~600m long) (@Rs 1000/meter)	600000	15,000
7	PUC certification of vehicles (2 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	1,000
8.	Cost for the proposed recharge tube well & for the mine closure at the end of the mine life. (fencing cost given at the above point	1,00,000	
Labor Welfare			
9	Repairing of the existing temporary site office with drinking Water Facility at rest shelter (15 x 15 ft.) with solar light	10,000	5,000
10	Toilets 1 no. (maintenance of existing)	5,000	3,000
11	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	-	16,000
12	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 8 x 2000) for workers. including 1 safety harness for the worker involved in blasting/drilling works - (@Rs 2000 per set)	18,000	5,000
Emergency Rescue Plan			
	Fire Fighting Equipment (1 Nos.) @ 20000 / firefighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	5,000
	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	8,000	2,000
	Cost proposed for the restoration activities at the mine lease area.	40000	
	Distribution of the LeD bulbs to the nearby villagers 300 nos of bulb @Rs 100/bulb	30,000	-
Solid Waste Management			

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

	a) Bins 2 Nos. @ Rs 1500 each	3,000	2,000
	c) Transport of Dry Waste	4,000	
	Total	11,71,750	1,44,000

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु०. में)
ग्राम झिंगुरदा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विकास हेतु आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उल्लेखित राशि 3 माह के भीतर जमा करवा दी जावेगी	60,000/-
योग	60,000/-

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	जंगल जलेबी, नीम, सिस्सू, पीपल, करंज, सफेद अरंडी आदि।	100
2	ग्राम झिंगुरदा में नगर पालिका निगम से परामर्श लेकर स्कूल आदि में उपलब्ध क्षेत्र में वृक्षारोपण	कचनार, सिस्सू, चिरोल, नीम, बरगद, पीपल आदि	500
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	कटहल, संतरा, आम, सीताफल अमरूद, मुनगा, जामुन आदि।	1800
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये खनन अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।</p>			

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

14. Case No. P2/580/24 Shri ABHAY AKHARE, Lessee, R/o-Abhinav Colony Nivali road Sendwa, District- Barwani, M.P. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.011 ha. (Stone - 10,000 m³/Year) (Khasra No. 294/1/11) Village- Gawadi, Tehsil- Niwali, and District- Barwani (M.P.). B-2

प्रकरण आज दिनांक 13/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri ABHAY AKHARE एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri ABHAY AKHARE, Lessee, R/o-Abhinav Colony Nivali road Sendwa, District- Barwani, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	294/1/11 (निजी भूमि)	1.011 hectare.
स्थल	Village- Gawadi, Tehsil- Niwali, and District- Barwani (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी के पत्र क्रमांक 508 दिनांक 20/3/20 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया बडवानी के पत्र क्रमांक 23 दिनांक 11/12/17 के द्वारा पत्थर-5000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone - 10,000 m ³ /Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone - 10,000 m ³ /Year है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2916 दिनांक 18/01/2016 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2916 दिनांक 18/01/2016 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2916 दिनांक 18/01/2016 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे :	

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

	रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गवाडी जिला बडवानी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 136 दिनांक 25/7/2013 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- पक्का रोड 351 स्थित एवं 161 मीटर एवं 175 मीटर पर आइसोलेटेड झोपडी हैं। जिनके सम्बन्ध में प्रस्तावक ने बताया कि ये कृषि सम्बंधित सामान रखने के उपयोग के लिए है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण बड़वानी जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-54 के सरल क्रमांक-45 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तुत प्रकरण एस.ओ.पी. के अन्तर्गत आवेदित किया गया था । समिति द्वारा परिवेश पोर्टल पर फार्म-2 में दिये गये विवरण अनुसार परीक्षण किया गया ।

समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 50 प्रतिशत पायी गई ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	नहीं पायी गई ।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति ।	अवलोकित नहीं हुई ।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 50 पेड़ बाँटे गये ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये ।

समिति ने परीक्षण दौरान पाया गया कि पुरानी ई.सी. की शर्त क्रमांक-9 में स्पष्ट उल्लेख है कि लीज के 10 गुना क्षेत्र में पेड़ लगाने थे जो कि नहीं किया गया । अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि पौधा रोपण वन विभाग के माध्यम से कराया जावे एवं वांछित राशि का प्रावधान प्रस्तावित ईएमपी योजना में किया जावे ।

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **स्टोन – 10,000 Cum/Year**

2. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-

- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
- म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।

2. पुरानी ई.सी. की शर्तों का अनुपालन 6 माह के अन्दर परियोजना प्रस्तावक द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्वोरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
4. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
5. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 15.43 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.53 लाख प्रति वर्ष।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>		
1.	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days.	-	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 320 m Long) 1. Settling Tank of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep 2. Settling Tank of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep Settling tanks will be of double "S" pattern.	50000	10,000

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

3	Contribution in maintenance of existing Road (Road length approximately 150 m, Width 5.5 m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 300/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	48,000	10,000
4	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@8000/yr, Noise@5000/yr Soil@5000/yr	NIL	20,000
5.	Plantation (Total 1220 nos.)		
	A. Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1st year -up 410 m to Mine lease boundary (400 nos.)	60,000	10,000
	B. Outside the Lease Area (along approach road, village road and village area) (including the Cost of tree guard & manure for the plant) 1st year- 100 nos. on evacuation route up to 150 m both side (@ Rs 500/tree) 2nd year-670 nos. for distribution toy nearby villagers (@ Rs 50/tree)	50,000 33,500	20,000
	C. Soil will be bought from outside; Rs @ 250/m ³ , 0.124 m ³ soil needed for per plant so 62 m ³ soil needed for the plantation of 500 trees	15500	-
6	Repairing & new Wire Fencing (Total~400 m long) Existing wire Fencing (~160 m long) @Rs 100/meter & new 240m @Rs 500/m	16000 120000	8,000
7	PUC certification of vehicles (1 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	500
Labor Welfare			
8	Repairing of the existing temporary site office with drinking Water Facility at rest shelter (15 x 15 ft.) with solar light	8,000	5,000
9	Toilets 1 no. (maintenance of existing)	5000	5,000
10	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	-	16,000
11	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 8 x 2000) A Safety harness belts for the workers in blasting & drilling (@2000 each)	18,000	5,000
Emergency Rescue Plan			
12	Additional Fire Fighting Equipment's (1Nos) @ 10000 / firefighting and first aid @ 2000 per kit	12,000	10,000
13	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	5,000	1500
14	Expenditure for the restoration activities at mine lease area.	20000	
15	Distribution of the LeD bulbs to the nearby villagers 250 nos of bulb @Rs 100/bulb	25,000	-
Solid Waste Management			
16	a) Bins 2 Nos. @ Rs 1500 each	3,000	2,000
	b) Pit and Composting	2,000	
	c) Transport of Dry Waste	2,000	
17	Cost will be given to the forest department for the plantation at 10.0 ha & maintenance of it for 5 years	1000000	100000

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

18	Cost for the mine closure at the end of the mine life. (fencing cost given at the above point no 6	50,000	
	Total	15,43,000	2,53,500

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु०. में)
ग्राम गवाड़ी के शासकीय प्राथमिक शाला के विकास हेतु अधोसंरचना विकास योजना के तहत उल्लेखित राशि ग्राम पंचायत में जमा करवाई जावेगी	50,000/-
योग	50,000/-

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1220 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा , कटहल आदि।	400
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर, पुत्रंजीवा, आदि।	100
3.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा , कटहल आदि।	720
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये खनन अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविक्त व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।</p>			

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

15. Case No. P-2/546/24 Shri Kamlesh Kumar Singh Partner of M/s Rahul Construction R/o - Village Karami, Tehsil mada , District Singrauli (M.P.) 486886, Prior Environment Clearance for Karami Stone Mine, Lease in an area of 1.540 ha. (15,385 cum per year) (Khasra No. - 141/668/1, 141/668/2, 141/668/3), Village- Karami, Tehsil -Mada, Dist.- Singrauli, (M.P.). [DEIAA] ToR.

प्रस्तावित स्टोन खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक / /2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Kamlesh Kumar Singh Partner, M/s Rahul Construction एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजनाविवरण	परियोजनाप्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Kamlesh Kumar Singh Partner of M/s Rahul Construction R/o - Village Karami, Tehsil mada , District Singrauli (M.P.) 486886, Prior Environment Clearance for Karami Stone Mine, Lease in an area of 1.540 ha. (15,385 cum per year) (Khasra No. - 141/668/1, 141/668/2, 141/668/3), Village- Karami, Tehsil -Mada, Dist.- Singrauli, (M.P.). [DEIAA]. SIA/MP/MIN/456854/2023.
परियोजना का खसरानं. / लीज क्षेत्रफल	खसरानं.—141/668/1, 141/668/2, 141/668/3, एरिया—1.540ha., निजीभूमि
परियोजना स्थल	Village- Karami, Tehsil -Mada, Dist.- Singrauli, (M. P.).
सैधातिक सहमति	पत्र क्र०. 2834 दिनांक 09 / 03 / 2023.
परियोजना की श्रेणी	बी-1,
टॉर स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा टॉर प्रस्तावित किया है।
Description of Project	This is stone mine project, Area-1.540 ha, Khasra No. - 141/668/1, 141/668/2, 141/668/3, (Pvt. land) at Village- Karami, Tehsil -Mada, Dist.- Singrauli, Madhya Pradesh
खनन कार्य ब्लास्टिंग / रॉकब्रेकर	<ul style="list-style-type: none"> Control and Muffle blasting. (As per Parivesh Portal up-loaded information).
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।
उत्पादन क्षमता	स्टोन— 15,385 cum per year.
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 3101 दिनांक 04 / 09 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 07 खदानें स्वीकृत हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा 17.23 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

की एनओसी	प्रमाण-पत्र क्रमांक 3101 दिनांक 04/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईका सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3101 दिनांक 04/09/2023 अनुसार आबादी एवं अन्य संस्थान 100 मीटर से अधिक दूरी पर है।
ग्रामसभा/ग्रामपंचायत/नगरपरिषद्	ग्रामपंचायत-जिला-करामी, सिंगरौली का ठहराव प्रस्ताव क्र. 02 दिनांक 07/04/2022 पर दर्ज है।
जल/वायु सम्मति संबंधी जानकारी	NA
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed – No Tree only shrubs are existed
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा में एक प्राकृतिक नाला लीज क्षेत्र से लगा हुआ है। पीपी द्वारा 50 मी. का सेटबैक प्रस्तावित किया गया है। उत्तर पूर्व दिशा में ब्रिज लगभग 186 मी.
	पूर्व दिशा-पक्का रोड लगभग 430 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र 520 दिनांक 13/02/2024 अनुसार अवगत कराया कि उक्त खदान का विवरण नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत सम्मिलित का लिया जावेगा।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार "गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर" (परिशिष्ट-1 संलग्न) अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

16. Case No. 9695/2023 Shri Brahmswarup Agrawal, Owner, situated near village Dhureri Tehsil Depalpur District Indore. M.P. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (Stone - 39701 m³/Year) (Khasra No. 3/1,4/4,4/3/2) Village Dhureri, Tehsil Depalpur, District Indore, (M.P.) EIA

प्रस्तावित पत्थर खदान B1 श्रेणी के अंतर्गत जिसमें आज दिनांक 13.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक ब्रह्मस्वरूप अग्रवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री ब्रम्हस्वरूप पिता श्री सुरेश अग्रवाल, निवासी ग्राम -1003 ब्लाक सनशाईन अपार्टमेन्ट ग्रेड एक्शोटिक, जिला इन्दौर म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	3/1, 4/4, 4/3/2 (नॉन फॉरेस्ट लैंड) hectare. 4.00 हेक्टयेर निजी भूमि
स्थल	ग्राम धुरेरी, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इन्दौर के पत्र क्रमांक - 579/खनिज/2022, दिनांक 02.03.2023 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
टॉर	सेक की 630 वीं बैठक दिनांक 17/03/2023 टॉर अनुशसित किया गया ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- 39,701 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार मुरम- 39,701 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इन्दौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 837/खनिज/2021 दिनांक 04.04.2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 09.90 हे. होता है, अतः प्रकरण B1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इन्दौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 837/खनिज/2021 दिनांक 04.04.2022 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इन्दौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 837/खनिज/2021 दिनांक 04.04.2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत झलारिया, जिला इन्दौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 170 दिनांक 05.09.2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों	कोई वृक्ष नहीं कटा जायेगा

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

की वर्तमान स्थिति	
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा – एक पक्की सड़क 175 मी. दक्षिण दिशा – एक कच्ची सड़क 30 मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 55 के सरल क्रमांक-12 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	लागू है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण में बताया कि पट्टा क्षेत्र के चारो तरफ कृषि क्षेत्र होने के कारण वैधानिक सीमा सहित कुल 25 मी. का सेडबेक दिया जा रहा है। पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर 39,701 घनमीटर/वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कॅपीटल राशि रु. 22.77 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.51 लाख प्रति वर्ष ।

क्रमांक	विवरण	पूँजी लागत (रुपये में)	आवर्ती लागत (रुपये में)
1.अ	हॉल रोड और ट्रांसपोर्ट रोड दोनों पर टैंकर स्प्रिंकलिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव।	75,000	10,000
1.ब	पानी की कीमत 4.00 KLD	-	1,00,000
2.	स्पीड ब्रेकर, साइड बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टी प्वाइंट आदि का विकास-लंबाई)x चौड़ाई (Rs.900/ मी के साथ 450 मी. की WBM एप्रोच रोड निर्माण	4,05,000	25,000

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

3.	वृक्षारोपण	9, 52,500	50,000
4.	निगरानी एएक्यूएम), शोर और पानी साल में दो बार (@ रु। दो स्थानोंवर्ष के लिए/	-	1,38,000
5.	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पेयजल सुविधा एक वाटर) 50-30/कूलरश्रमिक @ रु10 ./,000कूलरवर्ष /2000 .और रु (रखरखाव के लिए।	10,000	2,000
6.	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @25000X2 और रु। रखरखाव के लिए / 3000वर्ष।	50,000	3,000
7.	श्रमिकों और कर्मचारी की नियमित चिकित्सा जांच वर्ष में दो बार) प्रति श्रमिक500 रु(31,000
8.	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @25000X2 और रु। /2000वर्ष रख रखव के लिए।	50,000	5,000
9.	खनन कार्यो के लिए पीपीई @ रु / 1500कार्यकर्ता	-	46,500
10.	मजदूरों के लिए आश्रय कक्ष 400=(20*20)वर्ग फुट	50,000	5,000
11.	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास @ रु . /2000 प्रणाली और रु / 5000वर्ष रखरखाव।	10,000	4,000
12.	ट्रकों के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण @/1000ट्रक	-	4,000
13.	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, (@ /8000प्रकाशवेब साइट विकास)एवं रखरखाव@ रु5 ./,000खनन वेब कैमरा (, (प्रति कैमरा @ (3500खदान के प्रवेश द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड @ 2000 आदि	50,000	5,000
14.	खदान के भीतर Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 m X 1m) (लगभग 1070 मीटर X Rs. 50/-) एवं siltation ponds (Nos. 8) (3.0 m X 1.5 m X 1.5 m) (Rs. 2,000 X Nos. 8 एवं मजदूरी	69,500	10,000
15.	खदान के परिधि में 1070 मीटर की लम्बाई में फेन्सिंग की जाएगी)@ रु.500की जाएगी(मीटर/	5,35,000	20,000
16.	मजदूरों के लिए वीटी प्रशिक्षण न्यूनतम)@ (श्रम/ रुपये 500	-	31,000
17.	निकट ग्राम एलईडी वितरण की जाएगी @RS /500एलईडी X40 = RS 20,000	20,000	
	कुल योग	22,77,000	2,51,500

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
---------------------------------------	---------------

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

ग्राम धुरेरी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।	1.00
ग्राम धुरेरी में सामाजिक धार्मिक स्थल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।	0.50

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर ज़ोन एवं के सेडबेक 17.5 में 1070 मीटर की लम्बाई पर 3 लाइनों में वृक्षारोपण किया जायेगा)	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, सीताफल आदि	2500
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड (450मीटर) के दोनों तरफ दो लाइनों में 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	500
3	परिवहन मार्ग पर (500मीटर) के दोनों तरफ एक लाइनों में 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	250
4	आस पास के ग्रामीण किसानों को पौधे वितरित किये जायेंगे ग्राम धुरेरी	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, सीताफल आदि	1550

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

17. Case No. P2/584/24 Shri Agyat Gupta, Director, DG MARBEL AND GRANITES LLP, 158 3rd Floor, Zone-II, M.P. Nagar, Bhopal (M.P.) Prior Environment Clearance for Granite Mine in an area of 5.400 ha. (Granite-4000 cum per annum Boulder-12612 cum per annum, Gitti-12612, cum per annum & M-Sand- 100929

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

cum per annum) (Khasra No. 486) Village Bhitariya, Tehsil Lavkushnagar, District Chhatarpur (M.P.) TOR

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार "गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर" (परिशिष्ट-1 संलग्न) अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

समिति ने निर्णय लिया की उपरोक्त प्रकरण में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में पूर्व में लिये गये निर्णयानुसार गौण खनिजों के प्रकरणों में स्टेण्डर्ड टॉर (परिशिष्ट-1)जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

18. Case No. P2/585/24 Shri Agyat Gupta, Director, DG MARBEL AND GRANITES LLP, 158 3rd Floor, Zone-II, M.P. Nagar, Bhopal (M.P.) Prior Environment Clearance for Granite Mine in an area of 7.138 ha. (Granite-4000 cum per annum, Boulder-15262 cum per annum, Gitti-15262 cum per annum & M-Sand-122096 cum per annum) (Khasra No. 542 & 544) VILLAGE BHITARIYA, TEHSIL LAVKUSHNAGAR, DISTRICT CHHATARPUR (M.P.) [MIN/463837/2024] TOR

समिति ने निर्णय लिया की उपरोक्त प्रकरण में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में पूर्व में लिये गये निर्णयानुसार गौण खनिजों के प्रकरणों में स्टेण्डर्ड टॉर (परिशिष्ट-1)जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

19. Case No. 9795/22 Shri P.K. Mittal, Partner, R/o 11-12, Dun Market, Jabalpur Road, Bargawan, District-Katni, 483501 (M. P.), Prior Environment Clearance for Chilhari Laterite Quarry in an area of 10.415 ha. (107392 Cum per annum) (Khasra No. 197/1ग, 197/2, 198/1, 199, 225, 226, 227/1क, 227/1ख, 228/2, 229, 231, 234/2, 237/2) Village-Chilhari, Tehsil-Manapur, District-Umaria (MP) EIA [MIN/463841/2024.]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 13/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक पी.के. मित्तल, ऑनलाईन, श्री मयंक अग्रवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव मेसर्स ऐसीरीज इन्वायरॉन्टेक इंडिया प्रा.लिमि., लखनऊ (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स महालक्ष्मी माइंस एंड मिनरल्स 99-92 डन मार्केट , जबलपुर रोड बरगवां कटनी जिला कटनीपार्टनर (पी के मित्तल)

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	197/1 G, 197/2, 198/1, 199, 225, 226, 227/1K, 227/1Kh, 228/2, 229, 231, 234/2, 237/2, रकबा-10.415ha (Pvt. Land- नॉन फॉरेस्ट लैंड) नोइयत-कृषि
स्थल	VILLAGE- CHILHARI, TEHSIL- MANPUR, DISTRICT - UMARIA AND STATE- MADHYA PRADESH.
लीज स्वीकृति	संचनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्य प्रदेश जिला भोपाल म.प्र. के पत्र क्रमांक क. / 1369-70 / खनिज / न क.1 / उ0प0 .2021 , भोपाल दिनांक 01 / 02 / 2022 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लेटराइट -1,34,240TPA) हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 1,34,240TPA
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1302 / खनिज / उत्खनिपट्टा / 2022 दिनांक 22 / 07 / 2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 216 दिनांक 03 / 02 / 2023 अनुसार आवेदित स्थल बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व की कोर सीमा से 5.268 कि.मी. की दूरी पर स्थित है तथा ईको सेंसिटिव जोन से 0.404 कि.मी. की दूरी पर स्थित है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 216 दिनांक 03 / 02 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत नागदा जिला शयोपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 4 दिनांक 08 / 03 / 2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं हैं ।

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> लीज में स्थित पेड़ों का विवरण— 34। यदि पेड़ काटे जाने हैं तो उनका विवरण— 16 पेड़ काटे गये 16 पेड़ों के एवज में परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में पहले से लगाये पेड़ों की संख्या— 160 पौधे।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा में लगभग 2.5 कि.मी. पर आबादी है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—55 के सरल क्रमांक—6 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार द्वारा स्पष्ट किया गया कि प्रश्नाधीन खदान की ई.एस. जेड. से दूरी 0.400 कि.मी. है जो कि ई.एस.जेड. में निर्धारित दूरी से बाहर है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता —लेटराइट **1,34,240TPA**
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रू. 36.45 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 15.61 लाख प्रति वर्ष।

SL.N	Particulars	Capital Cost (inRs.)	Recurring Cost (in Rs.)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker Automatic Tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	NIL	50,000
1 (b)	Cost of water of 6250 ltr. @0.15 Rs./liter for 300 days)	NIL	2,81,250
2	Garland Drain is proposed (1320m x2mx1.5m) 1. Settling tank is 15m x 04m x 1.5m (2 No.) 2. Settling Tank is 10m x 04m x 1.5m	2,00,000	20,000
3	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (200mX5m) @500/sqm	<u>5,00,000</u>	50,000
4	Plantation in 7.5m barrier zone @ Rs. 200/plant. [3690 x Rs.200= 7,38,000]		

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

	Plantation in village and school @ Rs. 30/plant. (3210 x Rs.30= 96,300]	984,300	7,55,600 +98,430= 854,030
	Plantation in approach road @ Rs. 500/plant. [300 x Rs. 500= 1,50,000]		
5	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) 75000x2 @ Rs. 1,50,000 for two locations/year	Nil	1,50,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 1,000/year for maintenance.	30,000	10,000
8	Medical Check-up for 18 workers @500/worker (twice in a year)	NIL	18,000
9	First Aid Box & Firefighting equipment's @25000X2 & Rs. 2000/year for maintenance.	50,000	5,000
10	PPEs for other mining operations for 18+2=20workers @ Rs.1500/worker	30,000	3,000
11	Shelter rooms for labors (18*10) =180 Square feet @Rs.800/square ft.	1,44,000	14,400
12	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintenance.	10,000	2,000
13	Half yearly PUC certification for 6 trucks @1000/truck	NIL	12,000
14	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha.	NIL	30,000
15	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Website development & maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	NIL	37,000
	Game proof fencing for 2,774m @ 500/meter	13,87,000	13,870
16	Vocational Training for 50 Worker (min. @ Rs. 500 /labor)	NIL	9,000
17	Distribution of LED bulb	2,00,000	-
18	Deepening of pond	1,00,000	-
	Total	36,45,300/-	15,61,550/-

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
---------------------------------------	---------------

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

गांव चिल्हारी में स्ट्रीट लाइट हेतु आर्थिक सहयोग किया जायेगा।	40,000 /—
गांव चिल्हारी के स्कूल में पानी की व्यवस्था हेतु एक हैंड पम्प दिया जायेगा और हैंडपंप के चारों तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना की जाएगी तथा आर ओ की व्यवस्था प्रथम वर्ष में किया जायेगा।	80,000 /—
ग्राम चिल्हारी पंचायत के माध्यम से गांव के विकास हेतु आर्थिक सहयोग किया जायेगा	80,000 /—

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 13350 पौधों का वृक्षारोपण :-

क्र.सं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	इमली, आवला, आम, बेल, पीता, अमरुद, करौंदा, मुनगा, सीताफल, कैथा, जामुन, कटहल अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	6690
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	अर्जुन, करंज, पीपल, कदम्ब, खमेर, नीम, शीशम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	430
3	चिल्हारी असोध, चंदवार, चंसुरा, के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	नीम, आम, अमरुद, इमली, आवला, बेल, मुनगा, महुआ पीता एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	6200
4	गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चिल्हारी में वितरण हेतु।	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा, मोलश्री, गुलमोहर इत्यादि।	30

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

20. Case No. P-2/551/24 Shri Vinay Jain, H- 303 Badri Vishal Plaza , Old High Court Lane, Gird, District- Gwalior (M.P.). Prior Environment Clearance for Majra Stone Mine Khasra No.- 444, an Area of 2.00 Ha. in Village Majra, Tehsil- Joura, District- Morena (M.P.) with Production:- Stone 16,530 M³/ Year. Form -2 (DEIAA to SEIAA). [MIN/461921/2024.]B2 Case.

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 13/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Vinay Jain एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, मे0. ए.जी.एस. इंवारोमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Vinay Jain, H- 303 Badri Vishal Plaza , Old High Court Lane, Gird, District- Gwalior (M.P.). Prior Environment Clearance for Majra Stone Mine Khasra No.- 444, an Area of 2.00 Ha. in Village Majra, Tehsil- Joura, District- Morena (M.P.) with Production:- Stone 16,530 M ³ / Year. SIA/MP/MIN/461921/2024.
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.- 444, एरिया- 2.0 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Village- Majra , Tehsil- Joura, District- Morena (M.P.).
Activity	The project is for mining of Stone for Quarry in Village- Majra , Tehsil- Joura, District- Morena (M.P.) Lease Area: 2.00 hectares, Category of Project: 'B1' Khasra No - 444, Production:- Stone 16530M ³ / Year.
सैधातिक सहमति	पत्र क्र0. 60 दिनांक 22/10/206.
पर्यावरणीय स्वीकृति	New.
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Controlled & Broad Blasting,
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया मुरैना द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र0. क्यू/3 दिनांक 17 अक्टूबर 2016. (स्टोन - 16,530 घनमीटर/वर्ष).
उत्पादन क्षमता	● स्टोन - 16,530 घनमीटर/वर्ष ।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण ।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला - मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 188 दिनांक 23/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदाने स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला - मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 188 दिनांक 23/02/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

	जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 188 दिनांक 23/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	कार्यालय ग्राम पंचायत – मजरा, जिला – मुरैना द्वारा जारी ठहराव प्रस्ताव दिनांक 15/08/2016 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र के अन्दर प्रस्तावित है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कोई पेड़ नहीं है।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	दक्षिण दिशा– दक्षिण-पश्चिम में पक्का रोड लगभग 131 मी. पर स्थित है, इस प्रकार लीज क्षेत्र में 69 मी. का सेटबैक दिया गया है। जिससे पक्के रोड से लीज क्षेत्र की दूरी 200 मी हो गई है।
जल/वायु सम्मति वैधता	After Getting Prior EC.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 219 के सरल क्रमांक-34 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नाधीन खदान को पूर्व में डिया से ईसी प्रदान की गई थी जिसका हस्तान्तरण नवीन पी.पी. को किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 16,530 घनमीटर/वर्ष
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 9.69. लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.18 लाख प्रति वर्ष

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	50,220	-
1(b)	Water requirement- 1.116 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (280 m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
PLANTATION SCHEME			
3.	a) Plantation within lease @ Rs. 200/plant.	600 plants × 200 Rs=1,20,000/-	15,000
	b) Plants to be distributed in nearby villagers : @ Rs. 50/plant.	1500 plants × 50 Rs=75,000/-	
	c) Plantation Along the Approach Road @ Rs.300/plant	300 plants × 300 Rs=90,000/-	
4	<ul style="list-style-type: none"> • Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 600 m Long) • Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area. • Settling Tank is of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep) . 	80,185	5,000
5	Wire fence (595 m) @200 rupees/meter.	1,19,000	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 15 Labors -15 × 500 × 2)	-	15,000
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 15 workers - 15 × 1500)	22,500	2,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,00,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)	-	1,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows : 1. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2. Web site development & Maintenance 3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 4. Display Board at mine entrance.	22,000	-
17	For Carbon containment (708 Plants x 100 Rs / Plant)	70,800	
	TOTAL	9,69,705 /-	1,18,000/-
<p>Apart from other facts mention carbon footprint amount, in case of building fire expenditure, STF budged, solar power amount, water fogging machine in mining/curser area, in other specific provisions.</p>			

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 60,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम मजरा के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	60,000/-

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	600
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	300
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1500
योग			2400

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

21. Case No. P2/587/24 Smt. Deepa Singh, Director, PURNI INFRA (INDIA) PRIVATE LIMITED, R/o-Purni House, Padawa Road Khandwa, District-Khandwa M.P. Prior Environment Clearance for Stone Quarry and M-Sand in an area of 4.0 ha. (Stone - 30,000 m³/Year and M-Sand - 25000 m³/Year) (Khasra No. 9/1, 9/2, 9/4 & 10/1) Village- Bhagwanpura, Tehsil- Punasa, District- Khandwa (M.P.) B-2

प्रस्तावित स्टोन खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 13/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Deepa Singh, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	Deepa Singh, Director, PURNI INFRA (INDIA) PRIVATE LIMITED,

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

परियोजना का नाम व पता	R/o-Purni House, Padawa Road Khandwa, District-Khandwa M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	9/1, 9/2, 9/4 & 10/1 (निजी भूमि)	4.0 hectare.
स्थल	Village- Bhagwanpura, Tehsil- Punasa, District- Khandwa (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खंडवा के पत्र क्रमांक 37 दिनांक 26/4/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone - 30,000 m ³ /Year and M-Sand – 25000 m ³ /Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone - 30,000 m ³ /Year and M-Sand – 25000 m ³ /Year	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खंडवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1461 दिनांक 19/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खंडवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1461 दिनांक 19/02/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खंडवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1461 दिनांक 19/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में आवेदित क्षेत्र से नाला लगा हुआ है जिससे नियमानुसार 50 मीटर की दूरी एवं पश्चिम दिशा से लगे कच्चे रास्ते 10 मीटर की दूरी छोड़ी गई है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भगवानपुरा जिला खंडवा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 42 दिनांक 16/8/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - 8 Additional tree to be planted - 80	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- नाला लगभग 50 मीटर उत्तर दिशा में स्थित है।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खंडवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 407 दिनांक 15/07/2022 के अनुसार अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उत्खनिपट्टा को सम्मिलित किया जावेगा ।	

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता Stone - 30,000 m³/Year and M-Sand – 25000 m³/Year
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कॅपीटल राशि रु. 13.15 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.29 लाख प्रतिवर्ष।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)		
		Capital 1 st year	2 nd year	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>			
1	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days	-	---	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 850 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 10 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern. And a of Sedimentation Tank for M-sand Three of 3m X 2m X 3 m each	1,00,000 60,000	---	20,000
3	Development of approach Road (Road length approx. 200 m, Width 5.5m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 500/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	75,000	---	20,000
4	Monitoring twice a year AAQM @15000/yr, Water@5000/yr, Noise@5000/yr, Soil @5000/yr	NIL	---	30,000

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

5	Plantation (4880 trees will be planted)			
	Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1st year –in periphery of Mine lease boundary (~1000no's)	150000	---	20,000
	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) (including the Cost of tree guard & manure for the plant) 1st year- 100 no's on evacuation route up to 200 m (approach road) m both side (@ Rs 500/tree) 2nd year- 100 no's at nearest school @Rs 150 (as fencing /boundary wall is present these places) 1 st year – 3680 no's for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	50,000 184000	15000	20,000
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank .	6,000	---	1,000
6.	Wire fencing (~900 m long) (@Rs 500/m)	450000	---	15000
7	Curtaining around the crusher unit : total 100 m long (per sheet 4m high X 2m width) (@Rs 1000/sheet)	50,000		10,000
8.	PUC certification of vehicles (5 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	---	2500
Labour Welfare				
9.	Drinking Water Facility and rest shelter (15 x 15 ft.) with solar light	80,000	---	10,000
10.	Toilets 2 nos (Male & Female) 12,500 x 2	25,000	---	5,000
11.	Occupational health checkup for 14 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 14	Nil	---	28000

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

12.	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc .14x 2000) Safety harness belts for the workers in blasting& drilling (@1 belts of Rs 2000)	30,000	---	4,000
Emergency Rescue Plan				
13	Fire Fighting Equipment's (1Nos) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000		10,000
14	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	8,000		2,000
Solid Waste Management				
15.	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3,000		2,000
	b) Pit and Composting	3,000		
	c) Transport of Dry Waste	4,000		
	Other			
16.	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers 500 nos @Rs100/bulb	50,000		
	Total	13,00,000	15000	229,500
		13,15,000		2,29,500

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू०. में)
आयुष्मान आरोग्य मंदिर भगवानपुरा में ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 3 माह के भीतर जमा की जावेगी।	1,30,000 /-
योग	1,30,000 /-

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4880 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आवलों, कटहल, जामुन, आम , जामफल, जंगल जलेबी, आदि	1000

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

		एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, कदम्ब इत्यादि।	100
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहल आदि।	3680
4	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भगवानपुरा परिसर में	कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर, पुत्रंजीवा, आदि।	100

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

22. Case No. 9971/23 Shri SAYYAD ALI, proprietor, 1, Wahid Villa Wahid Nagar Old Bypass Jaora Road, Ratlam. Prior Environment Clearance for Stone Quarry and M-Sand in an area of 7.0 ha. (Stone – 74100/Year and M-sand – 74100 m3/Year) (Khasra No. 3/2) Village Sanwaliyarundi, Tehsil - Ratlam, District- Ratlam, (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 13/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रो सैय्यद मोहब्बत अली एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव मेसर्स ऐसीरीज इन्वायरॉन्टेक इंडिया प्रा.लिमि., लखनऊ (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	व्ही आर कंस्ट्रक्शन प्रो सैय्यद मोहब्बत अली आत्मज वाहिद अली निवासी 96/90 रहमतनगर रतलाम मध्य प्रदेश
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	Khasra No. 33/2, (Govt. Land) —नॉन फॉरेस्ट लैंड) नोइयत-बर्डी
स्थल	VILLAGE- SANWALIYARUNDI, TEHSIL- RATLAM, DISTRICT – RATLAM AND STATE-MADHYA PRADESH.
लीज स्वीकृति	संचनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्य प्रदेश जिला भोपाल म.प्र. के पत्र क्रमांक क./3239-42/खनिज/उ0प0/न क्र. 05.2022, भोपाल दिनांक 20/03/2023 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- 74,100 घनमीटर/वर्ष और एम सैंड 74100 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर - 74,100 घनमीटर/वर्ष और एम सैंड 74100 घनमीटर/वर्ष)
टॉर	ToR Recommended in 656 th SEAC Meeting dated 23/06/2023. TOR Letter no. 938/SEIAA/2023, dated 24/07/2023
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 812 दिनांक 17/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में संचालित/स्वीकृति 13 अन्य खदान जिसका रकबा 34 हेक्टेयर है कुल रकबा 41 हेक्टेयर है
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 812 दिनांक 17/04/2023 अनुसार 10 कि.मी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलामके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 812 दिनांक 17/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत राजपुर जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 5 दिनांक 15/01/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर/एमसैंड प्लांट लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं हैं।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● लीज में स्थित पेड़ों का विवरण -1। ● पेड़ कटा नहीं जायेगा
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा में लगभग 34 मीटर पर नाला है 16 मीटर का सेटबैक दिया गया है पुनरीक्षित सरफेस प्लान प्रस्तुत किया गया है उत्तर दिशा में 222 मीटर पर पक्का रोड

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 812 दिनांक 17/04/2023 अनुसार आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त स्वीकृत उत्खनिपट्टा का नाम सूची में जोड़ा जाकर अद्यतन करा लिया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता Stone, 74,100 Cum/Annum M-Sand 74,100 Cum/Annum .
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 27.19 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 6.79 लाख प्रति वर्ष।

SL.N	Particulars	Capital Cost (inRs.)	Recurring Cost (in Rs.)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling though tanker Automatic Tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	NIL	50,000
1 (b)	Cost of water of 47,30 ltr. @0.15 Rs./liter for 300 days)	NIL	2,47,500
2	Garland Drain is proposed (905m x2mx1.5m) 1. Settling tank is 15m x 04m x 1.5m 2. Settling Tank is 10m x 04m x 1.5m	2,50,000	25,000

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

	3. Settling Tank is 10m x 04m x 1.5m		
3	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (250mX5m) @300/sqm	3,75,000	37,500
4	Plantation in 7.5m barrier zone @ Rs. 200/plant. [2500 x Rs.200= 5,00,000]	8,67,000	86,700
	Plantation in village and school @ Rs. 50/plant. (5,740x Rs.50= 2,87,000]		
	Plantation in approach road @ Rs. 500/plant. [160 x Rs. 500= 80,000]		
5	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) 75000x2 @ Rs. 1,50,000 for two locations/year	Nil	1,50,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 1,000/year for maintenance.	30,000	3,000
8	Medical Check-up for 18 workers @500/worker (twice in a year)	NIL	18,000
9	First Aid Box & Firefighting equipment's @25000X2 & Rs. 2000/year for maintenance.	50,000	5,000
10	PPEs for other mining operations for 18+2=20 workers @ Rs.1500/worker	30,000	3,000
11	Shelter rooms for labors (18*10) =180 Square feet @Rs.800/square ft.	1,44,000	14,400
12	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintenance.	5,000	2,000
13	Half yearly PUC certification for 5trucks @1000/truck	NIL	10,000
14	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha.	nil	nil
15	Vocational Training for 18 Worker (min. @ Rs. 500 /labor)	-	18,000
16	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Website development & maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	37,000	-
17	Barbed Fencing for 12404m @ 300/meter	7,21,200	7,212
18	Wind Breaking Wall (04m height of MS Sheet) as crusher is not proposed within the lease (@ Rs. 3000/m)	Crusher is not proposed within lease area	
19	Distribution of LED bulb for carbon reduction	2,00,000	-

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

Total	27,19,200/-	6,79,312 /-
--------------	--------------------	------------------------

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूप्रवेश के तीन महीने के अंदर ग्राम पंचायत सांवलिया रुण्डी के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में राशि रोगी कल्याण समिति में जमा की जावेगी।	40,000 /—
शासकीय स्कूल, सांवलिया रुण्डी में एक कंप्यूटर और एक प्रिंटर साथ एक कुर्सी व एक टेबल हेतु राशि पालक शिक्षक संघ में जमा की जावेगी।	60,000 /—

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 8400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	कस्टार, जंगल जलेबी, चिरौल, आवंला एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	2500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	शीशम, नीम, अमलतास, जामुन, करंज, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	160
3	राजपुरा, धाबाईपाड़ा, सरवानीखुर्द, मथुरी हरथाली और सांवलिया रुण्डी गांव के घरों में पेड़ों का वितरण किया जाएगा।	बेल, इमली, आवंला, कटहल, आम, अमरूद, अशोक मुनगा इत्यादि।	5700
4	ग्राम सांवलिया रुण्डी के शासकीय विद्यालय में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा,मोलश्री, गुलमोहर इत्यादि।	40
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

23. Case No. P2/586/24 Shri Simran Singh Chhabra, Director, M/s ISC PROJECTS PRIVATE LIMITED, First Floor, 61A, Cabin No 1, Janta Tower, Besides Motors Mitra Petrol Pump, Napier Town Jabalpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. Boulder/Stone-1,71,878 M3/year, M-Sand : 51,563 M3/year, Murum: 22,960 M3/year) (Khasra No. 3) Village- Khurshi, Tehsil- Jabalpur, Dist- Jabalpur, (M.P.). TOR

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार "गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर" (परिशिष्ट-1 संलग्न) अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

24. Case No. P2/588/24 Shri RAKESH KUMAR, Lessee, R/o-Village Dongargaon, Tehsil- Susner, District- Agar Malwa, M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 3.0 ha. (Stone – 23199 m3/Year (Khasra No. 53) Village Pipliya Nankar, Tehsil Susner, District Agar Malwa (M.P.). (DEIAA TO SEIAA)

यह प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया से सिया का है, जिसका आज दिनांक 13/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri RAKESH KUMAR, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri RAKESH KUMAR, Lessee, R/o-Village Dongargaon, Tehsil- Susner, District- Agar Malwa, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	53 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.0 hectare.
स्थल	Village Pipliya Nankar, Tehsil Susner, District Agar Malwa (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के पत्र क्रमांक 40 दिनांक 03.02.2016 के द्वारा स्वीकृत । (अवधि वर्ष 01.02.2016– 30.01.2026)	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया आगर मालवा के पत्र क्रमांक 1961 दिनांक 30/05/20216 के द्वारा पत्थर-23200 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone - 23199 m3/Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार - Stone - 23199	

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

	m3/Year
केशर प्लांट की स्थिति	केशर लीज के अन्दर है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 963 दिनांक 08/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 963 दिनांक 08/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 963 दिनांक 08/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पिपल्यानानकर जिला आगर मालवा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 273 दिनांक 29/07/2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्खनिपट्टे से उत्तर दिशा में पक्का रोड 240 मीटर पर है उत्खनिपट्टे से उत्तर दिशा में 120 मीटर पर नाला स्थित है
	उत्खनिपट्टे से दक्षिण दिशा में 110 मीटर पर नाला स्थित है
	उत्खनिपट्टे से दक्षिण पूर्वी दिशा में लगभग 92 मीटर पर पर स्टॉप डैम परिलक्षित हो रहा है जिसके सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक ग्राम पंचायत पिपल्यानानकर द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पत्र दिनांक 03.05.2024 प्रस्तुत किया गया जिसमे उल्लेख किया गया है की पूर्व में 1 मीटर ऊंची संरचना पानी का बहाव नियंत्रित करने हेतु स्थानीय तौर पर निर्मित की गयी थी जो कि स्टॉप डैम नहीं है एवं उक्त के सम्बन्ध में खदान के संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया
	उत्खनिपट्टे के उत्तर पूर्व में लगभग 65 मीटर, 155 मीटर पूर्व में एवं उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 70 मीटर पर छोटे गड्डे परिलक्षित हो रहे हैं जिसके सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पिपल्यानानकर द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 03.05.2024 प्रस्तुत किया गया जिसमे उल्लेखित है कि उक्त गड्डे शासकीय निर्माण कार्य हेतु

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

	ग्राम पंचायत द्वारा एवं कुछ स्थानीय गामीणो द्वारा मुरुम निकाल कर गड्डे निर्मित किये गए थे जो कि कोई तालाब अथवा तलैया नहीं है नाही किसी शासकीय योजना के तहत निर्मित कोई जल संरक्षण संरचना है। एवं उक्त के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रस्तुत की गयी है
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण आगर मालवा जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. -81 के सरल क्रमांक- 36 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तुत प्रकरण एस.ओ.पी. के अन्तर्गत आवेदित किया गया था । समिति द्वारा परिवेश पोर्टल पर फार्म-2 में दिये गये विवरण अनुसार परीक्षण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि पूर्व ई.सी. के शर्त क्रमांक 1,2,4 एवं 6 का गॉव के स्कूल, कॉलेज आंगनबाड़ी पार्क विकसित किया जाये । पूर्व ईसी की शर्तों का पालन 6 माह में पूर्ण किया जावे। खनन क्षेत्र पूर्णतः पथरीला है अतः प्लान्टेशन योग्य नहीं है अतः 3600 पौधे पश्चिम दिशा में स्थित पिपलिया ननकार गॉव में वितरित किये जावेंगे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन- 23199 m³/Year
- 2- पुरानी ई.सी. की शर्तों का अनुपालन 6 माह के अन्दर परियोजना प्रस्तावक द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें ।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.12 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.93 लाख प्रतिवर्ष ।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>		
1.	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days.	-	30,000

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

	1 no's of Overhead water sprinkle facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation with fixed pipeline.	60,000	10,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1.0 m Deep & 600 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 3. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.	80,000	10,000
3	Contribution in maintenance of existing Road (Road length approximately 245 m, Width 5.5 m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 300/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	73,500	10,000
4	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@5000/yr, Noise@5000/yr Soil@5000/yr	NIL	25,000
5.	Plantation (Total 3600 nos.)		
	Plantation govt school piplyaakar 600 nos. of plants @150/plat - 1 st year- 3000 nos. for distribution of the saplings to the nearby villagers & farmers (@ Rs 50/tree)	90000 1,50,000	15000
	C. Sowing of the Local seeds species, Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank.	8,000	1,000
	D. Soil & manure bought from outside @Rs 100/cubic meter, for plantation 0.124 cubic meter soil use for per tree. So 192 Cubic meter soil needed for no. of 1550 trees	19200	-
6	Total Wire Fencing = (~715 m long) - {30% completed=215 m} (70% Remaining to be installed = 500 m @500 Rs./m)	2,50,000	25,000
	Curtaining around crusher plant Rs@ 1000/GI sheet (4m length and 2 m width). For 150 m length 75 GI sheet requires.	75,000	5,000
7	PUC certification of vehicles (3 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	1500
Labor Welfare			
8	Maintenance existing Drinking Water Facility and rest shelter (20x 15 ft.) with solar light	10,000	8,000
9	Toilets 2 no. (Male & Female) (maintenance of existing)	10,000	5,000
10	Occupational health checkup for 8 workers	-	16,000

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

	(@twice/year)@ 1000 x 2 x 8		
11	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 8 x 2000) for workers. including 1 safety harness for the worker involved in blasting/drilling works - (@Rs 2000 per set)	18,000	5,000
Emergency Rescue Plan			
	Fire Fighting Equipment (1 Nos.) @ 20000 / firefighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	5,000
	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	10,000	2,000
Solid Waste Management			
	a) Bins 2 Nos. @ Rs 1500 each	3,000	2,000
	c) Transport of Dry Waste	4,000	
	Expenditure for the restoration activities at the mine lease area.	30,000	
	Development of the grassland at an area of 3.00 ha in same khasra 53	30000	8000
	Distribution of the Led bulb(200nos) to the villagers for the carbon sequestration. (@Rs 100/bulb)	20000	
	Expenditure for the Compliance of the old EC point o 1,2 & 4	1,00,000	20,000
	Cost for the mine closure at the end of the mine life. (fencing cost given at the above point no 6)	50,000	
	Total	11,12,700	1,93,500

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू0. में)
ग्राम पिपल्या नानकर के विद्यालय विकास हेतु अधोसंरचना विकास के अंतर्गत उल्लेखित राशि 3 माह के भीतर जमा करवा दी जावेगी	60,000/-
योग	60,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
-------	----------------------------------	---------------------	---------------------

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

1.	ग्राम पिपल्या नानकर के नजदीक स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर एवं आस पास	ग्राम पिपल्या नानकर के नजदीक स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर एवं आस पास	600
2.	नजदीकी ग्रामवासियों को एवं पश्चिमी दिशा में स्थित खेतों के किसानों को 3000 पौधों का वितरण किया जाएगा	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	3000
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये खनन अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

25. Case No. P-2/552/24 Shri MANISH PUROHIT, Owner, Bhagat Singh Ward, Sagar (M.P.) Prior Environment Clearance for Flagstone Mine in an area of 2.00 ha. (20,000cum per annum) (Khasra No. 1561) Village:Patan, Tehsil: Banda, District:Sagar (M.P.) B-2

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 13/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री मनीष पुरोहित, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अखिलेश गुप्ता, मेसर्स Globus Environment Engineering Services, Lucknow (U.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri MANISH PUROHIT, Owner, Bhagat Singh Ward, Sagar (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1561 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड भू-स्वामी प्रस्तावित प्रोजेक्ट के पार्टनर है)	2.00 hectare.

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

स्थल	Village:Patan, Tehsil: Banda, District:Sagar (M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 1286 दिनांक 05/09/22 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Flagstone-20,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Flagstone-20,000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 130 दिनांक 27/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 130 दिनांक 27/01/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 130 दिनांक 27/01/23 अनुसार 120 मीटर की दूरी पर नदी स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पाटन जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-15 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पश्चिम दिशा Stop dam 72 meters set back provided upto 100 m. so that mining are shall be available as 1.50 ha. .
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 1677 दिनांक 28/12/23 अनुसार उक्त खदान को अद्यतन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन- 20,000cum per annum
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 22.27 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 1.27 लाख प्रतिवर्ष।

S NO.	Particulars		Unit		Budget Provisions (Rs)	
					Capital	Recurring
1.	Overhead water sprinkling facility for transportation vehicles on haul road and transportation road.		255 m (L) * 7 m (W) twice a day <ul style="list-style-type: none"> • 3HP Pump@70,000*1=70,000 • SolarPanel@2,50,000*1=2,50,000 • Sprinkler@50,000*2 =1,00,000 		4,20,000	10,000
2.	Prepare & Maintenance of approach road		Annual 400 m (L) x 7 m (W) x 100/sqm		2,80,000	20,000
Plantation Scheme						
3.	Location	Saplings to be Planted	Unit	Total Cost(in Rs.)	5,90,000	15,000
	Barrier Zone	1000	@ Rs. 250/ sapling	2,50,000		
	Plantation along the Approach Road	1000	@ Rs. 300/ sapling	3,00,000		
	Balance lease area	400	@ Rs. 100/ sapling	40,000		
4.	Settling Tank Garland drain		@50000 x 2 (4 m Wide X 15 m Long X 2.5 m Deep) @30000 (1.5 m Wide X 2m Deep & 830 m Long)		1,30,000	5,000
5.	Wire Fence 200/m x lease boundary area		@ Rs. 200 wire /m (640*200=1,28,000)		1,28,000	5,000
6.	Carbon Footprint Mitigation		-		20,000	
7.	LED Bulb Distribution		200 piece x Rs.150		30,000	
8.	Monitoring twice a year		AAQM@20,000, WATER@10,000,		2,57,000	60,000

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

		NOISE @2,000, SOIL@10,000 6 (locations)		
9.	Drinking Water Facility for labour and staff	-	10,000	2,000
10.	Separate Toilets for male and female.	Rs. 15,000 x 2	30,000	3,000
11.	Regular Medical Checkup for 18 workers @twice/year	@ 500 x 18 x 2 (@twice/year)	-	18,000
12.	Fire Fighting Equipment and first aid	@ 20000 / fire fighting	20,000	2,000
13.	Provision of PPES (Helmet shoes gloves goggles etc)	@ 1500/worker =1500*18	27,000	5,000
14.	Rest shelter rooms for labors (15 x 10 feet)	-	1,00,000	5,000
15.	2 Dust bins and development of solid waste management system	@5000 /System	5,000	2,000
16.	Half yearly PUC certification of trucks @500/trucks	@3 trucks x 500 x2 (twice in a year)	-	5,000
17.	Miscellaneous Expenses such as follows: 1. Two Solar Lights @ 8000Rs. 2. Web site development and Maintenance 3. 2 web camera @ 3500 Rs. 4. Display board at mine entrance	-	30,000	-
18.	Wind Breaking Wall (4 m height of MS Sheet @ 300/meters) ,50 m X 3,000 Rs.	-	1,50,000	-
	Total EMP Cost		22,27,000	1,57,000

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.16 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

S NO.	Activity	Capital
1.	Installation of roof top solar plant in primary school, Gugra.	2,16,000
	Total CER Cost	2,16,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, भीम, सिरिस	1000

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, सेजा, चिरोल	1000
3	छसंदजंजपवद पद वजीमत तमें;बीववसए चंदबीलंज ठूँद मजबद्ध	आम, कुसुम, अ गोक, सीताफल	400

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

26. Case No. 11287/2024 Shri Shashi Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Arjungaon River Sand Quarry in an area of 6.00 ha. (97200 cum per year) (Khasra No. 128, 187), Village-Arjun Gaon, Tehsil-Gadarwara, District-Narsinghpur(MP) [471905] (EIA) .

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 13/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री शशिभूषण सिंह कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड) (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश 1 राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री शशिभूषण सिंह कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड) (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. - 128, 187 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल - 6.00 हे.
स्थल	ग्राम - अर्जुनगाँव, तहसील - गाडरवारा, जिला - नरसिंहपुर, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभागा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक - एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

स्वीकृत माईनिंग प्लान/ड एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम – अर्जुन गॉव रेत खदान, दिनांक– 10/12/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा अर्जुनगॉव रेत खदान के लिए स्टैन्डर्ड टॉर दिनांक 31/01/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 97,200 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 97,200 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1010 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है,
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1010 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने इनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1010 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन गील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टे इन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉपडैम/ नहर/ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/ नाला नहीं है ।

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अर्जुन गाँव जिला नरसिंहपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 06 दिनांक 16/08/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित लीज की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	दूधी नदी । लीज से 680 मीटर की दूरी पर रेल्वे ब्रिज स्थित है ।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	17/09/2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-20 के सरल क्रमांक-13 एवं पेज नं.-78 के सरल क्रमांक-02 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 03/04/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि लीज से 680 मीटर की दूरी पर रेल्वे ब्रिज स्थित है । अतः ब्रिज से एक कि.मी. तक का क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा है अतः 3.24 हेक्टेयर खनन हेतु उपलब्ध है जिससे रेत की आवेदित मात्रा उपलब्ध हो रही है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति वििष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 97,200 घनमीटर/वर्ष है।
1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चित करायेगे ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई **Prone Breeding Center** तो नहीं है और

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे

5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशिरू. 11,42,000 लाख एवं रिकरिंग राशिरू. 3,95,000 लाख प्रति वर्ष ।

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	72,000
1(b)	Water requirement- 2.0 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (400m in length × 5m in width)	1,50,000	30,000
3.	PLANTATION SCHEME	6,05,000	90,000
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(2000X150 = ₹3,00,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(100X500= ₹ 50,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(5100X50 =₹2,55,000)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (45 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	45,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 21	20,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 21 Labors -21× 500 × 2)	-	21,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs.	20,000	2,000

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

	2000/year for Maintenance.		
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 21 workers - 21 × 1500)	31,500	7,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	Provide 1,00,000/-INR to village farmers for trees adaptation and reducing carbon footprint	1,00,000	10,000
	Total	11,42,000/-	3,95,000/-

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशिरू. 1,00,000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि(रू.में)
ग्राम अर्जुनगांव के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 15 टेबल एवं 15 कुर्सी के लिए 1,00,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति अर्जुनगांव के बैंक खाते में भू - प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,00,000
कुल	1,00,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 5100 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा,	2000

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

		अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	खमेर चिरोल करंज जंगल जलेबी कदम कनक	100
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	5100
कुल			7200
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

27. Case No. 11292/2024 Shri Shashi Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Dhigsara River Sand Quarry in an area of 5.775 ha. (93555 cum per year) (Khasra No. 29/1), Village-Dhigsara, Tehsil-Gadarwara, District-Narsinghpur (MP) [471798] (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 13/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री शशिभूषण सिंह कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड) (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री भाणिभूषण सिंह कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड) (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 29/1 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 5.775 हे.
स्थल	ग्राम – ढिगसरा, तहसील – गाडरवारा, जिला – नरसिंहपुर, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम – ढिगसरा रेत खदान, दिनांक– 11/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें ।	सिया द्वारा ढिगसरा रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31/01/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 93,555 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 93,555 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 990 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है,	

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज गाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 990 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने इनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज गाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 990 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, रा ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ रा ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन गील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टे गन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉपडैम/ नहर/ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/ नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	जनपद पंचायत साईखेडा जिला नरसिंहपुर के पत्र क्रमांक 1695 दिनांक 27/09/2023 के अनुसार प्रस्तावित सीलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नही है।
प्रस्तावित लीज की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	दूधी नदी ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	17/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-20 के सरल क्रमांक-10 एवं पेज नं.-78 के सरल क्रमांक-02 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 03/04/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति वि ष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनु ांसा करती है:-

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 93,555 घनमीटर/वर्ष है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चित करायेगे।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई **Prone Breeding Center** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशिरू. 11,79,000 लाख एवं रिकरिंग राशिरू. 4,65,000 लाख प्रति वर्ष।

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,08,000
1(b)	Water requirement- 3.0 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (600m in length × 5m in width)	1,80,000	36,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>	6,05,000	1,20,000
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(1900X 150 = ₹ 2,85,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(150X500 = ₹ 75,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(4900 X50 = ₹2,45,000)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (43 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	43,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring		30,000 30,000

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

	i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 22	20,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 22 Labors -22× 500 × 2)	-	22,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 22 workers - 22 × 1500)	33,000	6,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	20,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	Provide 1,00,000/-INR to village farmers for trees adaptation and reducing carbon footprint	1,00,000	10,000
	Total	11,79,000/-	4,65,000/-

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशिरू. 1,10,000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी. ई. आर. गतिविधि		
साल	गतिविधि	राशि

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

1	सी.एस.आर से ग्राम ढिंगसरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी की सहमति से 1,10,000 रुपये की राशि के स्वास्थ्य संबंधी उपकरण भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर उपलब्ध कराये जायेंगे ।	1,10,000
योग		1,10,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2050 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 4900 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	1900
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	खमेर चिरोल करंज जंगल जलेबी कदम कनक	150
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	4900
कुल			6950
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे ।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख -रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

28. Case No. 11305/2024 Shri Ram Soni, OIC-MPSMCL, Jr. Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Gotra-1 Sand Deposit in an area of 4.40 ha. (39640 cum per year) (Khasra No. 1936P), Village-Gothara-1, Tehsil-Kusmi, District-Sidhi (MP) [448992] (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 13.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person - Shri Ram Lakhan Soni) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Ram Lakhan Soni			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय	वन	निजी	Ha.
	4.40			
स्थल	Village - Gotra 1 Tehsil - Kusmi, District Sidhi (M.P.).			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (गोतरा- 1) दिनांक - 25.12.2023			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं है			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 39640 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत 39640 घनमीटर/वर्ष है।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1016/खानिज/2023 दिनांक 23.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 39.140 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1016/खानिज/2023 दिनांक 23.11.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1016/खानिज/2023 दिनांक 23.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग /			

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गोतरा जिला सीधी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 04.12.2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	रेत की खदान है
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-7 के सरल क्रमांक- 01 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 02-04-2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-39640घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.56 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.67 लाख प्रति वर्ष ।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चित करायेगे ।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 370 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	37,000	10,000
3	Plantation (4,400 plants will be planted & Distribution during the first year).	3,96,000	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	LED Bulb Distribution in Village gram panchayat	-	50,000
6	Trees Adaptation	-	1,00,000
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 8 Labour @ 500 Rs. = 4,000 Rs./twice per year @500 x 2 x 8	Nil	8,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 8 labor @1000 Rs.	8,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	6,56,000	3,67,000

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.0 lakh तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

CER Table

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम गोतरा के आंगनवाड़ी केन्द्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	40,000
2	ग्राम गोतरा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	10,000
3	संजय-दुबरी नैशनल पार्क एण्ड टाइगर रिजर्व एको समाप्ती के विकास हेतु	50,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 880 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बाँस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	880
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	880
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	3,520

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

29. Case No 10816/2023 Shri Navin Patwa, Company Secretary, M/s SAM Industries Limited, Village, Dakachiya, AB Road, Tehsil: Sanwer, District-Indore (MP)-453771, Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Commercial Warehouse “Shivaay LogiSpace” in an area of 10.009 ha. (42441.58 sq.m.) (Khasra No. 255/1/1, 255/1/2, 255/1/3, 255/1/4, 255/1/5, 255/3, 255/4/1, 255/4/2, 255/4/3, 255/4/4, 255/4/5, 255/5/1, 255/5/2, 255/6/1, 255/6/2, 255/7/1, 255/7/2, 255/8/1, 255/8/2, 259//1/1, 259/1/2, 259/2/1, 259/2/2, 259/3/1, 259/3/2, 259/4/1, 259/4/2, 259/5, 258/1/2k, 258/2/1, 258/1/1, 258/1/2/1, 258/2/1/kh/258/1/2/2, 258/2/2), Village-Dakachya, Tehsil-Sawer, District-Indore (MP) [450903] (B2)

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Commercial Warehouse “Shivaay LogiSpace” in an area of 10.009 ha. (42441.58 sq.m.) Village-Dakachya, Tehsil-Sawer, District-Indore (M.P.).

Chronology of the case

- EC recommended by SEAC 729th 6.03.2024.
 - SEIAA referred back case to SEAC in their meeting no. 843 dated 05.04.24
- पत्र में उल्लेख किया है कि गूगल ईमेज से प्रतीत हो रहा है कि परियोजना स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है सेक द्वारा प्रकरण को पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया है परन्तु निर्माण के संबंध में कोई अवलोकन नहीं किया गया है अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रकरण को वायलेशन संबंधित पुष्टिकरण हेतु सेक को प्रेषित किया जाये।

प्रकरण को आज दिनांक 13.05.2024 सूचीबद्ध किया गया जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार Mr Shubham Dubey M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना क्षेत्र में पुरानी ऑयल इण्डस्ट्री का डिमोलेशन किया गया है एवं वर्ष 2019 में टीएनसीपी से परमीशन प्राप्त हुई है। गूगल ईमेज के अनुसार परियोजना क्षेत्र में जो गड्ढे दिख रहे हैं वे गड्ढे नहीं हैं बल्कि ईंटों के पिलर्स हैं एवं पिलर्स में लोहे के सरिया/आयरन रॉड आदि निकले हुये नहीं हैं, इस संबंध में उनके द्वारा फोटोग्राफ एवं शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर लेख

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

किया गया है “At our site there is only demarcation and serving site office is to be constructed, this is showing in google image. Only brick pillars have been used in the construction work and RCC has not been used.

पर्यावरण सलाहकार द्वारा एमओईएफ का ओएम 2022 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार –

1. The above work is done as per point number 3.2 of the notification F.No.IA3-22/10/2022-IA.III/(E 177258) dated 29. March 2022 of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change of India-

“Over a period of time, various options other than conventional barbed wire and fencing, have come into existence, viz., use of pre-fabricated structures, pre-cast compound wall etc. Furthered, in order to secure the land, the project proponent may need to have water and electricity connection. In view of the same, it has been decided by the Competent Authority in the Ministry to explicitly clarify that following activities can be undertaken by the project proponent for securing the land.

- i. Fencing of the project site by boundary wall using civil construction, barbed wire or precast/ prefabricated compounds.*
- ii. Construction of temporary sheds using pre-fabricated/modular structure, for site office/guards and storing material and machinery.”*

2. Earlier there were 50 trees was presented at the site which were uprooted, for compensation Rs 25000 has been deposited in the Gram Sabha by the company, as per the OM F.No.IA3-22/10/2022-IA.III/(E 177258) dated 29. March 2022 point number 4.iii.

अतः समिति ने परीक्षण के उपरान्त पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईंटों के पिलर्स स्थापित किये गये हैं वह अस्थायी संरचना है जिसका उपयोग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रोजेक्ट के मार्केटिंग साईट ऑफिस के रूप में प्रस्तावित है, उक्त संरचना एमओईएफ का ओ.एम. F.No.IA3-22/10/2022-IA.III/(E 177258) dated 29. March 2022 के बिन्दु क्रमांक 3.ii में किये जाने का प्रावधान है। अतः समिति ने पूर्व सेक की 729 वीं बैठक दिनांक 06/03/2024 में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

30. Case No 11304/2024 Shri Ram Soni, OIC-MPSMCL, Jr. Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011,

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

Prior Environment Clearance for Gotra-2 Sand Deposit in an area of 3.70 ha. (33300 cum per year) (Khasra No. 571P), Village-Gothara-2, Tehsil-Kusmi, District-Sidhi (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 13.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री राम लखन सोनी M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person - Shri Ram Lakhan Soni) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Ram Lakhan Soni			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 3.70	वन	निजी	Ha.
स्थल	Village - Gotra 2 Tehsil - Kusmi, District Sidhi (M.P.).			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ	

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है (Gopad River)
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (गोतरा 2) दिनांक - 25.12.2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं है
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 33300 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत 33300 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1022/खानिज/2023 दिनांक 24.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 39.140 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1022/खानिज/2023 दिनांक 24.11.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1022/खानिज/2023 दिनांक 24.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गोतरा जिला सीधी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 04.12.2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं	
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है	रेत की खदान है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	रेत की खदान है	
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-7 के सरल क्रमांक- 01 पर दर्ज है ।	
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 02-04-2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी. एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-33300 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रू. 6.15 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 3.65 लाख प्रति वर्ष ।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई है तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चित करायेगे एवं शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा की जावेगी तथा सिया को अवगत कराया जावेगा ।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक / कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 610 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	61,000	10,000
3	Plantation (4,440 plants will be planted & Distribution during the first year).	3,33,000	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	LED Bulb Distribution in Village gram panchayat	-	50,000
6	Trees Adaptation	-	1,00,000
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 6 Labour @ 500 Rs. = 3,000 Rs./twice per year @500 x 2 x 6	Nil	6,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 6 labor @1000 Rs.	6,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	6,15,000	3,65,000

3. CER Table

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मई 2024

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1 Lakh तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम गोतरा के आंगनवाड़ी केन्द्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	40,000
2	ग्राम गोतरा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	10,000
3	संजय-दुबरी नैशनल पार्क एण्ड टाइगर रिजर्व एको समाप्ती के विकास हेतु	50,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 740 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बाँस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	740
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	740
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	2,960

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

31. Case No 11301/2024 Shri Ram Soni, OIC-MPSMCL, Jr. Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Nidhipuri-1 Sand Deposit in an area of 5.00 ha. (45000 cum per year) (Khasra No. 176P), Village-Nidhipuri, Tehsil-Majhauri, District-Sidhi (MP) [449055]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 13.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person - Shri Ram Lakhani Soni) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Ram Lakhani Soni			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय	वन	निजी	Ha.
	5.00			
स्थल	Village - Nidhipuri 1 Tehsil - Majhauri, District Sidhi (M.P.).			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (निधिपुरी 1) दिनांक - 25.12.2023			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं है			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 45000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत 45000 घनमीटर/वर्ष है।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1024/खानिज/2023 दिनांक 24.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 41.89 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1024/खानिज/2023 दिनांक 24.11.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1024/खानिज/2023 दिनांक 24.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण			

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

	कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गोतरा जिला सीधी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 04.12.2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं	
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है	रेत की खदान है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• रेत की खदान है	
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-7 के सरल क्रमांक-10 पर दर्ज है ।	
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 02-04-2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी. एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-45000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 7.11 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.66 लाख प्रति वर्ष ।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई है तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चित करायेगे एवं शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा की जावेगी तथा सिया को अवगत कराया जावेगा ।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक / कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 390 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	39,000	10,000
3	Plantation (6,000 plants will be planted & Distribution during the first year).	4,50,000	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	LED Bulb Distribution in Village gram panchayat	-	50,000
6	Trees Adaptation	-	1,00,000
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 7 Labour @ 500 Rs. = 3,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 7	Nil	7,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 7 labor @1000 Rs.	7,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	7,11,000	3,66,000

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.0 lakh तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम निधिपुरी के आंगनवाड़ी केन्द्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	40,000
2	ग्राम निधिपुरी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	10,000
3	संजय - दुबरी नैशनल पार्क एण्ड टाइगर रिजर्व एको समाप्ती के विकास हेतु	50,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बाँस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	1000
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	1000
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	4000

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

32. Case No 11290/2024 Shri Omkar Dubey, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Sakari-Khursipara-Arandiya River Sand Quarry in an area of 21.00 ha. (60000 cum per year) (Khasra No. 01, 671, 507), Village-Khursipar, Sokri, Arandiya, Tehsil-Keolari, District-Seoni (MP).

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 13/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री ओमकार प्रसाद दुबे कनिष्ठ प्रबंधक फील्ड (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री ओमकार प्रसाद दुबे कनिष्ठ प्रबंधक फील्ड (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता - पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. - 671, 507, 01 (ग्रासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल -	21.00 हे.	
स्थल	ग्राम - सकरी-खुरसीपार-अरंडिया, तहसील - केवलारी, जिला - सिवनी, म.प्र.			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक - एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ड एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डी एस आर	है	नहीं

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम – सकरी-खुरसीपार-अरंडिया रेत खदान, दिनांक- 12/12/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा सुड़ी रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31/01/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 60,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 60,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 398 दिनांक 21/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है,
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 398 दिनांक 21/06/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने इनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 398 दिनांक 21/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिक भवन/ 1म 1ान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन गील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टे 1ान, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉपडैम/ नहर/ग्रामीण

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

	कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खुरसरा जिला सिवनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 29 दिनांक 27/01/2014 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है ।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	11/05/2024
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-10 के सरल क्रमांक-11 एवं पेज नं.-41 के सरल क्रमांक-11 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 22/03/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला खनिज अधिकारी के पत्र क्रमांक 493 दिनांक 13/05/2024 के माध्यम से खनन क्षेत्र के सत्यापित 37 अतिरिक्त कोर्डिनेट प्रस्तुत किये गये । तदनुसार समिति द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विि ष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनु ंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 60,000 घनमीटर/वर्ष है ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशिरू. 34,76,000 लाख एवं रिकरिंग राशिरू. 8,47,400 लाख प्रति वर्ष ।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई है तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चत करायेगे एवं शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा की जावेगी तथा सिया को अवगत कराया जावेगा ।
4. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
5. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक / कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

6. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई **Prone Breeding Center** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
7. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशिरू. 1,80,000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि(रू.में)
ग्राम सकरी-खुरसीपार-अरंडिया के परिवहन मार्ग का रख-रखाव	1,80,000
कुल	1,80,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 9200 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 16000 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	8900
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	खमेर चिरोल करंज जंगल जलेबी कदम कनक	300
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	16000

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

कुल	25200
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे। <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>	

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

33.Case No 11274/2024 Shri Sushil Pathak, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Luhawara-1 Sand Quarry in an area of 3.50 ha. (56700 cum per year) (Khasra No. 505), Village-Luharwara, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 13/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सुशील कुमार पाठक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सुशील कुमार पाठक कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता - पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. -505 (शासकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल - 3.50 हे.
स्थल	ग्राम - लुहरवारा, तहसील - बडवारा, जिला - कटनी, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक - एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक	

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

	31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ड एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम – लुहरवारा – 1 रेत खदान, दिनांक– 04/11/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा लुहरवारा – 1 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31/01/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 56,700 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 56,700 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2155 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, जिसका रकबा 46.86 हे. है, इस प्रकार कुल रकबा 50.36 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2155 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2155 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ म गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन गील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टे न, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

	निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/ नहर/ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/ नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत लूहरवारा जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 03 दिनांक 02/10/2017 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	उमरेर नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है ।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	14/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-26 के सरल क्रमांक-16 एवं पेज नं.-36 के सरल क्रमांक-16 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 04/04/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विंष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 56,700 घनमीटर/वर्ष है ।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई है तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चित करायेगे एवं शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा की जावेगी तथा सिया को अवगत कराया जावेगा ।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई **Prone Breeding Center** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशिरू. 10,84,000 लाख एवं रिकरिंग राशिरू. 4,27,000 लाख प्रति वर्ष ।

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,08,000
1(b)	Water requirement- 3.0 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (600m in length × 5m in width)	1,80,000	36,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(1600X150= ₹2,40,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(200X500= ₹ 1,00,000)	4,60,000
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(2400X50 = ₹ 1,20,000)	82,000
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (27 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	27,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 32	30,000	6,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 32 Labors -32× 500 × 2)	-	32,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year	20,000	2,000

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

	for Maintenance.		
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 32 workers - 32 × 1500)	48,000	9,600
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	3,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	Provide 1,00,000/-INR to village farmers for trees adaptation for reducing carbon footprint	1,00,000	10,000
	Total	10,84,000/-	4,27,000/-

7. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशिरू. 1,30,000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि(रू.में)
ग्राम लुहरवारा में रोड लाईट के लिए	60,000
लुहरवारा गाँव में सामाजिक कार्य के रूप में पंजीकृत गौशाला के लिए	70,000
कुल	1,30,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 2400 वृक्षों का वितरण :-

कंप	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय	1600

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

		प्रजातियां	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	खमेर चिरोल करंज जंगल जलेबी कदम कनक	200
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2400
कुल			4200
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

34. Case No 11270/2024 Shri Sushil Pathak, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Salaiya Sand Quarry in an area of 15.290 ha. (220176 cum per year) (Khasra No. 1, 125, 126, 240), Village-Salaiya, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 13/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सुशील कुमार पाठक (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि खदान क्षेत्र वन सीमा से शून्य मी. पर स्थित है अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि संभागीय आयुक्त से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें तत्पश्चात प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

35. Case No 11277/2024 Shri Sushil Pathak, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Kumharwara Sand Quarry in an area of 1.20 ha. (18720 cum per year) (Khasra No. 579), Village-Kumharwara, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 13/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सु गील कुमार पाठक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सु गील कुमार पाठक कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. –579 (ासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 1.20 हे.
स्थल	ग्राम – कुम्हरवारा, तहसील – बडवारा, जिला – कटनी, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे ा शासन, खनिज साधन विभागा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ड एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम – कुम्हरवारा रेत खदान, दिनांक– 20/11/2023	

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा कुम्हरवारा रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31/01/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 18,720 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 18,720 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2154 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, जिसका रकबा 13.35 हे. है, इस प्रकार कुल रकबा 14.55 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2154 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2154 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 100 से 130 मीटर पर मानव बसाहट स्थित है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम जनपद पंचायत बडवारा जिला कटनी के पत्र क्रमांक 1197 दिनांक 20/09/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से जनपद पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	16/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-27 के सरल क्रमांक-22 एवं पेज नं.-37 के सरल क्रमांक-22 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 03/04/2024, को

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

लागू हो तो)	संपन्न हुई । आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
--------------	--

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 18,720 घनमीटर/वर्ष है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई है तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चित करायेगे एवं शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा की जावेगी तथा सिया को अवगत कराया जावेगा।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई **Prone Breeding Center** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशिरू. 5,82,000 लाख एवं रिकरिंग राशिरू. 2,17,000 लाख प्रति वर्ष ।

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	36,000
1(b)	Water requirement- 1.0 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days. .		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (200m in length × 5m in width)	60,000	12,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(600X150= ₹90,000)	18,000
		1,66,500	

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(70X500= ₹ 35,000)		
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(830X50 = ₹ 41,500)		
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (9Trucks × 500 × 2 times in a year)		--	9,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution			30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 12		1,000	2000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 12 Labors -12× 500 × 2)		-	12,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 12 workers - 12 × 1500)		18,000	1,800
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.		15,000	3,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		6,000	
16	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		1,50,000	5,000
17	Provide 1,00,000/-INR to village farmers for trees adaptation and reducing carbon footprint		1,00,000	10,000
	Total		5,82,000/-	2,17,000/-

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशिरू. 70,000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि(रु.में)
कुम्हारवाड़ा ग्राम के आंगनवाड़ी अधोसंरचना विकास के लिए राशि प्रदान की जावेगी	70,000
कुल	70,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 670 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 830 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	600
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	खमेर चिरोल करंज जंगल जलेबी कदम कनक	70
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	830
कुल			1500

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
 - ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
 - ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

पूर्ति की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

36. Case No 11271/2024 Shri Sushil Pathak, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Suddi Sand Quarry in an area of 10.00 ha. (168000 cum per year) (Khasra No. 1419), Village-Suddi, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 13/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सु गील कुमार पाठक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सु गील कुमार पाठक कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 1419 (ासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 10.00 हे.
स्थल	ग्राम – सुड्डी, तहसील – बडवारा, जिला – कटनी, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे ा शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ड एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम – सुड्डी रेत खदान, दिनांक– 05/11/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा सुड्डी रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31/01/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 1,68,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 1,68,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2148 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, जिसका रकबा 15.00 हे. है, इस प्रकार कुल रकबा 25.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2148 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने इनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2148 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, स्थित है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सुड्डी जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 24 दिनांक 20/08/2019 अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	महानदी नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	16/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-27 के सरल क्रमांक-23 एवं पेज नं.-37 के सरल क्रमांक-23 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 02/04/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 1,68,000 घनमीटर/वर्ष है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई है तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चित करायेगे एवं शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा की जावेगी तथा सिया को अवगत कराया जावेगा।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई **Prone Breeding Center** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशिरू. 20,94,000 लाख एवं रिकरिंग राशिरू. 6,72,000 लाख प्रति वर्ष ।

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.		
1(b)	Water requirement- 5.0 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.	-	1,80,000
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (1000 m in length × 5m in width)	3,00,000	60,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Distribution to villagers . @ Rs. 150/plant.	(5000X150= ₹7,50,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(300X500= ₹ 1,50,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(6700X50=₹ 3,35,000)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (78 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	78,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year)		30,000
	Pollution Monitoring		30,000
	i) Air pollution		20,000
	ii) Water pollution		20,000
	iii) Soil Pollution		
	iv) Noise Pollution		
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 90	80,000	16,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 90 Labors -90× 500 × 2)	-	90,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 90 workers - 90× 1500)	1,35,000	20,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	23,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	Provide 1,00,000/-INR to village farmers for trees adaptation and reducing carbon footprint	1,00,000	10,000
Total		20,94,000 /-	6,72,000 /-

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशिरू. 3,20,000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि(रू.में)
ग्राम-सुड्डी के ग्राम सुड्डी के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 1,20,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति सुड्डी के बैंक खाते में भू - प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	2,20,000
नाली निर्माण हेतु । ग्राम-सुड्डी (पंचायत एवं ग्रामीणों की मांग के अनुसार)	1,00,000
कुल	3,20,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5300 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 6700 वृक्षों का वितरण :-

कंठ	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत	5000

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

		एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	खमेर चिरोल करंज जंगल जलेबी कदम कनक	300
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	6700
कुल			12000
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

37. Case No 11280/2024 Shri Sushil Pathak, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Salhana Sand Quarry in an area of 7.220 ha. (95304 cum per year) (Khasra No. 540), Village-Salhana, Tehsil-Baawara, District-Katni (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 13/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सुशील कुमार पाठक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
----------------	---

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सुशील कुमार पाठक कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश टा राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. –540 (तासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 7.220 हे.
स्थल	ग्राम – सलहना, तहसील – बडवारा, जिला – कटनी, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश टा शासन, खनिज साधन विभागा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ड एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम – सलहना रेत खदान, दिनांक– 10/11/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा सलहना रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31/01/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 95,304 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 95,304 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2161 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, जिसका रकबा 12.43 हे. है, इस प्रकार कुल रकबा 19.65 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2161 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार	

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

	10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2161 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान स्थित है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भदौरा नं. 2 जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 01 दिनांक 27/01/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	महानदी नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	16/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-25 के सरल क्रमांक-12 एवं पेज नं.-36 के सरल क्रमांक-12 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 03/04/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र में जल भराव है अतः खनन हेतु 4.40 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में वर्ष 2018-19, 2020-21 एवं 2021-22 में उत्पादकता, जल भराव एवं गहराई 2.2 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 60,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति वििष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 60,000 घनमीटर/वर्ष है।

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई है तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चित करायेगे एवं शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग मार्इनिंग कार्पोरेशन द्वारा की जावेगी तथा सिया को अवगत कराया जावेगा।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई **Prone Breeding Center** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशिरू.18,39,000 लाख एवं रिकरिंग राशिरू. 6,45,000 लाख प्रति वर्ष।

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,80,000
1(b)	Water requirement- 5.0 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (1000 m in length × 5m in width)	3,00,000	60,000
PLANTATION SCHEME			
3.	Distribution to villagers . @ Rs. 150/plant. (4000X150=₹6,00,000)	9,70,000/-	1,50,000
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant. (300X500= ₹ 1,50,000)		
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant (4400X50 =₹ 2,20,000)		
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (45 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	45,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring		30,000 30,000

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

	i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 52	50,000	10,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 52, Labors -52× 500 × 2)	-	52,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 52 workers - 52× 1500)	78,000	10,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	20,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	Provide 2,00,000/-INR to village farmers for trees adaptation and reducing carbon footprint	2,00,000	20,000
	Total	18,39,000 /-	6,45,000 /-

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2,20,000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी. ई. आर. गतिविधि		
साल	गतिविधि	राशि
1	ग्राम सलहना के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 20 टेबल एवं 20 कुर्सी के लिए 1,20,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति सलहना के बैंक खाते में भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,20,000/-

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

2	ग्राम सलहना के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 01 कंप्यूटर, 01 प्रिंटर 01 टेबल के लिए 1,00,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति सलहना के बैंक खाते में भू-प्रवे 1 के तीन माह के अंदर जमा की जावेगी ।	1,00,000/-
योग		2,20,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4300 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 4400 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	4000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	खमेर चिरोल करंज जंगल जलेबी कदम कनक	300
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	4400
कुल			8700

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
 - ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
 - ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिंदु शुद्धिपत्र –

38. Case No. 11049/2023 Shri Rajesh Shukla, M/s Aditya Traders, C/o RO-833, Krishnartri Bhawan, 1st Floor, Dubey Colony, District-Katni (MP)-483501, Prior Environment Clearance for Cheetakheda in an area of 5.00 ha. (100005 TPA) (Khasra No. 488), Village-Cheetakheda, Tehsil-Jiran, District-Neemuch (MP) (B2)

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 747वीं बैठक दिनांक 02/05/24 को डिया से सिया हेतु अनुशंसा की गई थी जबकि प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत नया प्रोजेक्ट के तहत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जानी थी ।

के स्थान पर निम्नानुसार अनुशंसा पढ़ी जाये :-

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 02/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Rajesh Shukla एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इवायो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Sjri RAJESH SHUKLA, Owner, M/s Aditya Traders, C/o Ro-833, Krishnartri Bhawan, 1st Floor, Dubey Colony, Katni (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	488 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	5.00 hectare.
स्थल	ग्राम Cheeta Kheda तसहील Jiran जिला Neemuch (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र पृ. क्रमांक 1222 दिनांक 23/08/23 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Blasting is not proposed.	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लेटेराइट-1,00,005 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार लेटेराइट-1,00,005 टीपीए	

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

	है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1117 दिनांक 11/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य नहीं खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1117 दिनांक 11/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1117 दिनांक 11/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चीताखेड़ा जिला नीमच के पत्र दिनांक 23/01/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के पत्र क्रमांक 1357 दिनांक 04/10/23 अनुसार उक्त खदान को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को सम्मिलित कर लिया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता लेटेराइट-1,00,005 टीपीए है।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 9.60 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 7.21 लाख प्रति वर्ष।
3. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.95 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

क्रमांक	योजना	कार्य क्षेत्र	लागत (लाख) प्रतिवर्ष
1	विद्यालय अधोसंरचना विकास हेतु	ग्राम मगरहटा एवं परइकाप	80000/-
2	अन्य कार्य	पंचायत एवं ग्रामीण के मांग के अनुसार	15000/-
	कुल		95000/-

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5600.वृक्षों का वृक्षारोपण :-

Proposed Plant Species for Mine Area, Transportation road and its Boundary			
Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants
1 st and 5 th Year	In barrier zone (7948sqm)	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, Jangle Jalebi, White Kastar and other local species	1600
3 rd year to 5 th year	Backfilled area	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, Jangle Jalebi, White Kastar and other local species	200
		Total	1800
1 st year	For village distribution	Mango, Guava, Imli, Awala, Bel, Munga, Mahua and other local species	2000

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

39.Case No. P-2/484 VIKAS INFRATECH, Manav Surana, Managing Partner, R/o-Palwai, Tehsil- Mandsaur, District- Mandsaur, M.P. Prior Environment Clearance for Gitti and M-Sand in an area of 1.61 ha. (Gitti - 5,000 Cu.mt/year and M-Sand - 10,000 Cu.mt/year) (Khasra No. 158/6/2), Village- Palwai, Tehsil- Mandsaur, District- Mandsaur (M.P.) B2

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 746वीं बैठक दिनांक 01/05/24 को टॉर हेतु अनुशंसा की गई है जबकि प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जानी थी ।

के स्थान पर निम्नानुसार अनुशंसा पढ़ा जाये डाटाशीट यथावत रहेंगी :-

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

केशर की स्थिति	केशरलीज क्षेत्र में प्रस्तावित है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● लेज में स्थित पेड़ों की संख्या 01 ● काटे जाने पेड़ों का विवरण 01 ● काटे गये पेड़ों के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 10
प्रस्तावितस्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<p>– पूर्व दिशा में शासकीय भूमि पर एक अस्थाई मकान परिलक्षित हो रहा है जिसके सम्बंध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह मकान मशीनरी एवं खेती संबंधी सामान रखने के लिए बनाया गया है एवं इसमें कोई निवास नहीं करता है जिसके संबंध में प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पलवई से पत्र क्रमांक 31 दिनांक 30.04.2024 के माध्यम से के स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया जिसमें लेख किया गया की यह शासकीय भूमि पर स्थित है, जिसमें किसी प्रकार का रहवास नहीं है, यह सिर्फ सामान के रख रखाव के उपयोग के लिए बनाया गया है, यह किसी शासकीय योजना के अंतर्गत नहीं बनाया गया है और न ही इसके भूमि स्वामी का रिकॉर्ड पंचायत में दर्ज है</p>
	<p>– उत्खनिपट्टे के पश्चिम में 145 मीटर पर पक्की रोड स्थित है जिसके सम्बंध में प्रस्तावक द्वारा 55 मीटर का सेट बैक प्रस्तुत मैप में दर्शाया गया है एवं 200 मीटर तक खनन कार्य नहीं किया जावेगा</p>

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता Gitti - 5,000 Cu.mt/year and M-Sand - 10,000 Cu.mt/year).
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 9.5 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.21 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
आयुष्मान आरोग्य मंदिर पलवई में ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवंस्वास्थ्य व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भू प्रवेश मिलने के 3	1,00,000/-

**749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024**

माह के भीतर जमा की जावेगी।	
कुल योग	1,00,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1950 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियतस्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	उत्खनिपट्टे के बैरियर जोनव गैर खनन क्षेत्र के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:-खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू , जंगल जलेबी, सफेद सिरिस करंज , सीताफल, चिरोल आदि।	600
2	परिवहन मार्ग के किनारे वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:-करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, कदम्ब इत्यादि।	100
3	पास के गांव में पौधे का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:-संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा ,कटहल आदि।	1200
4.	ग्राम पलवई स्थित शासकीय माध्यमिक शालापलवई में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:-कदम्ब, करंज,नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर . पुत्रंजीवा, आदि।	50
कुल वृक्षारोपण			1950

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

40. Case No 9474/2022 M/s Prakashdeep Minerals partner Shri Jairaj Singh R/o LIG-3/27/306, Nehru Nagar, District Rewa (MP)-486001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.820 ha. (31946 Cum per annum) (Khasra No. 6/1, 13/1), Village - Harrai Gujran, Tehsil - Mauganj, Dist. Rewa (MP)

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 मई 2024

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 739वीं बैठक दिनांक 23/04/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिमसे अनुशंसित उत्पादन क्षमता रिक्त है ।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 739वीं बैठक दिनांक 23/04/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित उत्पादन क्षमता रिक्त के स्थान पर Stone-31946 Cum per annum पढ़ा जावे शेष अन्य अनुशंसा/शर्तें यथावत रहेंगी।

41. Case No.11112/2023 SHRI SANJAY GOUD, R/o 1/3, Radha Ganj Dewas, Tehsil & District-Dewas (MP)-455001. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.70 ha. (21298 cum per year) (Khasra No.431, 432/2, 433, 442, 443), Village-Merkhedi, Tehsil-Dewas, District-Dewas (MP) [437465] [DEIAA] (B2)

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 741वीं बैठक दिनांक 25/04/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिमसे अधिकतम् उत्पादन क्षमता 5130 घनमीटर/वर्ष उल्लेखित हो गई जबकि पत्थर-21298 cum per year होनी चाहिए ।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व 741वीं बैठक दिनांक 25/04/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित अधिकतम् उत्पादन क्षमता 5130 घनमीटर/वर्ष के स्थान पर पत्थर-21298 cum per year पढ़ा जावे शेष अन्य अनुशंसा/शर्तें यथावत रहेंगी।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मई 2024

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मई 2024

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मई 2024

and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मई 2024

15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मई 2024

- v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
 38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
 39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- ‘C’

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मई 2024

- exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
 7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
 8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
 9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
 10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
 11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
 12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
 13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
 14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मई 2024

- o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
 37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
 38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
 39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
 40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मई 2024

41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मई 2024

20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in-situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna".
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The undertaking inter-alia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मई 2024

- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्लिचंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जायें ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 - 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 - 05.5 फिट	05-10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		

749 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मई 2024

	तीन वर्षों तक ।
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट - 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट - 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट - प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियों, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीट
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई चतवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे